ओ३म्

आर्यसमाज का संगठनात्मक एवं सैद्धान्तिक स्वरूप

विमल आर्य

मन्त्री, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

।।ओ३म्।।

आर्यसमाज का
संगठनात्मक एवं सैद्धान्तिक स्वरूप

लेखक : विमल आर्य
मन्त्री, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

मूल्य : 20/- रुपए (बीस रुपए)

प्रकाशक : सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
3/5, महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान
नई दिल्ली - 110002
फोन : 23274771, 23260985

मुद्रक : सार्वदेशिक प्रकाशन लि0
1488, पटौदी हाऊस
दरियागंज, नई दिल्ली - 110002
फोन : 23270507

विषय सूची

क्रं०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
क.	अनुशासित सैनिक बनने का पथ-प्रदर्शन — कै० देवरत्न आर्य	४
ख.	आर्यसमाज के संगठन और सिद्धान्तों से साक्षात्कार — विमल आर्य	५
१.	संगठन शक्ति	१०
२.	भवन सम्पति सुरक्षा	१५
३.	प्रचार अभियान के नए आयाम यज्ञ का दायरा बढ़ाएं	२१
४.	आर्यसमाज के प्रशासनिक कार्य	२७
५.	संस्कारों द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार	३०
६.	युवा और किशोर आर्यसमाज का भविष्य	३४
७.	मातृ शक्ति	३८
८.	आर्यसमाज में विवाह के नियम	४०
६.	शिक्षण संस्थाएं और वैदिक धर्म प्रचार	४४
१०.	राजनीति या जनसेवा आन्दोलन	४७
११.	वैदिक सिद्धान्त	५२
१२.	पुरोहित प्रचारक संन्यासी तथा स्वाध्याय प्रेमी आर्यजनों का योगदान	६६
१३.	संगठनात्मक अनुशासन	६६
संलग्नक 'क'	स्वतन्त्र संस्थाओं के लिए सम्बद्धता फार्म	७३
संलग्नक 'ख'	विशेष दिवसों की सूची	७७
संलग्नक 'ग'	साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम	७६

अनुशासित सैनिक बनने का पथ-प्रदर्शन

३ नवम्बर २००१ को मुझे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान चुना गया, तो मैंने अपनी व्यक्तिगत पसन्द के रूप में श्री विमल वधावन जी को वरिष्ठ उपप्रधान के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। मेरे प्रथम कार्यकाल के प्रारम्भ में ही उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलनों के आयोजनों का विचार रखा। इस विचार का क्रियान्वयन जब प्रारम्भ हुआ तो मुझे भी इसमें आर्यसमाज के भविष्य के प्रति एक सूक्ष्म दर्शन नजर आने लगा। तीन वर्षों में हमने दर्जनों कार्यकर्ता सम्मेलनों में भाग लिया।

हरिद्वार में वर्ष २००३ के दिसम्बर माह में ३ दिवसीय सैद्धान्तिक शिविर में तो कार्यकर्ता सम्मेलनों के पीछे छुपा दर्शन स्थापित होता नगर आने लगा।

हम विगत तीन वर्षों में कई नये कार्यकर्ताओं को जोडकर आर्यसमाज की मुख्यधारा में लाने में सफल हुए। एक सक्षम और अनुशासित संगठन का निर्माण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई।

वर्ष २००४ में जब मुझे पुनः प्रधान पद पर चुना गया तो मैंने श्री विमल वधावन को सबसे प्रमुख यही निर्देश दिया कि कार्यकर्ता सम्मेलनों को और अधिक तेजगति से आयोजित करना चाहिए।

द्वितीय सैद्धान्तिक शिविर (२७ से २६ दिसम्बर २००४) का आयोजन गाधीधाम गुजरात में किया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलनों से प्राप्त अनुभव को एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ के रूप में तैयार करके श्री विमल आर्य ने वास्तव में आर्यसमाज के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य सम्पन्न कर दिया है।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले आर्य जन आर्यसमाज के अनुशासित सैनिक बनकर लगातार इस महान संगठन की सेवा में लगे रहें।

— ***कै० देवरत्न आर्य***

प्रधान, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

आर्यसमाज के संगठन और सिद्धान्तों से साक्षात्कार

Face to Face with principles and organization of Arya Samaj

'आर्यसमाज का संगठनात्मक एवं सैद्धान्तिक स्वरूप' नामक प्रस्तुत ग्रन्थ की पृष्ठभूमि में अनेकानेक कार्यकर्ता सम्मेलनों से प्राप्त ज्ञान और अनुभव का एक विशाल दृष्टिकोण शामिल है।

संगठन के बिना कोई भी महान तथा स्थाई कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सकता। एक सुदृढ़ संगठन के लिए एक सुदृढ़ मार्गदर्शक व्यक्ति या संस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है।

आर्यसमाज के सम्पूर्ण कार्य का विभाजन त्रिस्तरीय संगठन के माध्यम से किया गया है। संगठन शक्ति का दो तरफा प्रवाह इस पवित्र आंदोलन का एक विशेष लक्षण है। इस दोतरफा शक्ति प्रवाह से तात्पर्य है कि पवित्र और लगनशील आर्यों के सुकर्मों से ही आर्यसमाज की शक्ति का निर्माण होता है और दूसरी दिशा में आर्यसमाज की शक्ति हम सब के अन्दर ऊर्जा का प्रवाह करती है।

इस दोतरफा प्रवाह को प्रत्येक आर्य बन्धु के मन मस्तिष्क में स्थापित करना इस छोटे से ग्रन्थ का ही नहीं अपितु विगत लगभग तीन वर्षों से चलाए जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलनों तथा सैद्धान्तिक शिविरों का भी परम उद्देश्य था।

लाला लाजपत राय ने कहा था कि **आर्यसमाज मेरी माता है**, इस बात ने मेरे मन मस्तिष्क पर एक गहरी छाप इस रूप में छोड़ी कि आर्यसमाज और उससे सम्बद्ध इस सारे त्रिस्तरीय ढांचे को मैंने सचमुच में अपनी जन्म देने वाली माता के समकक्ष समझना शुरू कर दिया। मुझे जिस मां ने जन्म दिया, जिसका नाम श्रीमती स्वर्णकान्ता है, उस मां के

द्वारा प्रदत्त शरीर से भूलकर भी उसी मां का शोषण करने की क्या में सोच सकता हूं ?

आर्यसमाज रूपी माता ने हमें मानसिक उत्थान रूपी जन्म दिया है। वैचारिक शक्ति प्रदान की है। एक विशाल और पवित्र क्रांति का अंग बनने का सोभाग्य प्रदान किया है। इस विशाल आर्यसमाज रूपी माता का शोषण .... क्या ऐसा सोचने से पहले हमारी आत्मा से धिक्कार शब्द सुनाई नही देता।

शरीर प्रदान करने वाली माता ने कितने प्रेम के साथ हमारा पालन पोषण करके आज हमें दुनिया में एक योग्य व्यक्ति की तरह कुछ करने लायक हमें बनाकर तैयार कर दिया। हमें योग्य बनाते बनाते, कोई माने या न माने, वह मां थक अवश्य गई होगी। वह मां बेशक मुंह से सेवा के लिए न कहे तब भी उसके मन में यह भाव तो अवश्य ही आता होगा।

आर्यसमाज रूपी मां केवल ईंट पत्थरों या किसी जड़ पदार्थ का नाम नहीं है, यह उस पवित्र संगठन का नाम है जिसका निर्माण करने में सैकड़ों, हजारों ही नहीं अपितु कोटि कोटि पवित्र आत्माओं की अनुशासित और समर्पित फौज अपनी आहुति दे चुकी है। उन आहुतियों का परिणाम है यह विशाल क्रांति जिसको हम आर्यसमाज माता कह रहे हैं, जिसके कारण हमारी गणना श्रेष्ठ पुरुषों में होती है, जिसके कारण हमें समाज सेवा का अवसर मिलता है, इस विशालता के साथ जुड़ते जुड़ते आज जब हम समाज में वैदिक धर्म के प्रतीक समझे जाते हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि इस आर्यसमाज माता के पीछे छुपी इन समस्त बलिदानी आत्माओं के मूक भाव को समझ कर अपने कर्तव्य पालन के द्वारा इस माता की भरपूर सेवा करने का प्रयास करें।

इस सेवा, समर्पण और कर्मठता के मार्ग को कौन कौन से तत्वों और सिद्धांतों से हमें साक्षात (face to face) होना पड़ सकता है। उन सबका अनुभव कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से प्राप्त करने के बाद मुझे यह आवश्यक लगा कि उसे समस्त आर्य बन्धुओं के सामने खुली पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना भी अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

इस के अतिरिक्त आर्यसमाज तथा अन्य योग्य साधुओं सन्तों और विद्वानों के सान्निध्य में बैठकर एक अच्छे मानव के निर्माण तथा सामाजिक

कार्यकर्ताओं में सामूहिक भावना का निर्माण करने के लिए जिन जिन सिद्धांतों और उपदेशों को उचित समझा उन्हें भी आपकी सेवा में प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य मानता हूं।

१. सामाजिक कार्यों को करते समय हमें तीन अवस्थाओं से कई बार गुजरना पड़ेगा – उपहास, विरोध और अन्त में स्वीकृति। हम इन तीनों अवस्थाओं से पार तभी उतरेंगे जब हमारे अन्दर अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ता और शुद्धता होगी।

२. इश्वर में अगाध श्रद्धा एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता का ऐसा लक्षण है जो उसके माथे पर झलकता है। हमारे हाथ से जो भी कार्य सम्पन्न हुआ है वह केवल ईश्वरीय कृपा है। हमने जब कार्य किया ही दूसरे के लिए है तो फिर 'मैं' की भावना किसी पाप से कम नहीं हो सकती।

३. सामाजिक कार्यों को करते समय सुख, दुःख, लाभ, हानि, मान अपमान आदि की भावनाओं की गठरी समुद्र में फैंक देनी चाहिए।

४. आज्ञापालन करने वाला ही आज्ञा देने का कार्य कुशलता से कर सकता है। आज्ञा देनी हो तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी मनुष्य के साथ हम नौकर, अधीनस्थ या हीन समझकर तो व्यवहार नहीं कर रहे। इसी प्रकार जब आज्ञा पालन करनी हो तो स्वयं को भी चापलूस की श्रेणी में खड़ा न करके आत्म श्रद्धा तथा आत्म गौरव के साथ समस्त आशाओं का पालन वीर हनुमान की तरह एक कर्तव्यनिष्ठ सेवक की तरह करना चाहिए।

५. दूसरों की भूलों को बड़ी सौम्यता पूर्वक उनकी दृष्टि में लाना चाहिए। इसी प्रकार अपनी भूलों को स्वीकार करने में एक क्षण से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए।

६. हमारे अधिकार क्षेत्र में जो कोई भी कोष या चल–अचल सम्मपत्तियां हों इनकी व्यवस्था पूरी न्यायोचित तथा पारदर्शी तरीके से रखी जानी चाहिए। इन व्यवस्थाओं का कार्य करते समय हमें अनुसरण करना चाहिए – Honesty is the best policy अर्थात् ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है।

७. सामाजिक संगठनों में हमें यह कदापि चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि हमारे चले जाने के बाद क्या होगा ? इसके विपरीत हमें सदैव अच्छे

व्यक्तियों को खोज खोजकर अपने अधिकारों में सहभागी बनाना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष या अन्य व्यक्तिगत भवनाओं के वशीभूत उचित संगठन का निर्माण नहीं हो सकता।

८. अधिकारी बन कर हमें सदैव अपने चरित्र को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। नेता चरित्रवान हो तभी संगठन में चरित्र का प्रवाह सम्भव होता है।

९. अनुशासन से भी अधिक सैनिक भाव को मैं महत्वपूर्ण शब्द समझता हूं। सैनिक भाव में कर्तव्य पालन करते समय प्राण देने की भावना भी स्वतः ही शमिल हो जाती है।

१०. पदाधिकारी बनकर केवल आदेश देने वाला व्यक्ति लम्बे समय तक सफल नहीं रह सकता। नेता को तो दिन रात त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए।

११. संगठन से जुड़े व्यक्तियों की निन्दा चुगली एक दूसरे के सामने कहने के बजाय हमें जिसका कार्य अच्छा न लगता हो उसे सीधा ही समझाने का प्रयास करना चाहिए।

१२. सच्चा पदाधिकारी वही बन सकता है जो एक शिशु की तरह सबका प्रिय है और अपने प्रेम के माध्यम से सबका सम्राट बनकर रहे जैसे घर में छोटे बच्चों को राजा बेटा कहकर सब सदस्य उसको प्रेम करते हैं क्योंकि ऐसे बच्चों में छल कपट का भाव ढूंढने से भी नहीं मिलता।

१३. हमें संगठन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे हाथ से यह कार्य तभी सम्भव हो सकता है जब हमारे स्वयं के अन्दर ऐसी शक्ति विकसित हो।

१४. पदाधिकारी बनकर अपने संगठनात्मक लक्ष्यों को एक योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित करके प्रत्येक व्यक्ति को आश्वस्त करना चाहिए कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति से संगठन का हित होगा। लक्ष्यों का निर्धारण संगठन के सिद्धान्तों के अनुकूल ही होना चाहिए। यह निश्चित जान लें कि लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करने वाला व्यक्ति यदि दस गलतियां करता है तो लक्ष्यविहीन व्यक्ति सौ गुना करेगा। उसके कार्य उसे तथा सारे संगठन

को भटकाते ही रहेंगे। अतः लक्ष्यों का निर्धारण एक परम आवश्यक कार्य है।

१५. लक्ष्य सिद्धि की भी एक सीधी और निर्धारित प्रक्रिया है। प्रतिक्षण उन लक्ष्यों का चिन्तन करो, दूसरों से विचार विमर्श करते रहो, उसी के स्वप्न देखो। हमेशा इसकी गणना करते रहो कि उस लक्ष्य की प्राप्ति में बेशक छोटे से छोटा ही कदम कयों न हो परन्तु प्रतिदिन कुछ न कुछ विकास अवश्य होना चाहिए। हमें उसी लक्ष्य के सहारे जीवित रहने का अभ्यास कर लेना चाहिए। हमारे शरीर का अंग अंग जब उस लक्ष्य से प्रेरित होने लगेगा तो लक्ष्य अपने आप सफल सिद्ध होते दिखाई देंगे।

इन समस्त बातों पर चिन्तन करने के बाद आइये, एक ऐसी पवित्र आदत का विकास करें जिसे देखकर दूसरे यह कह उठें – **वाह, क्या सुन्दर – धार्मिक संस्था को अपनी मां समझकर हमेशा उसकी सेवा में लगा रहता है**। इन सेवाओं के बदले में यह व्यक्ति कोई प्रतिफल भी नहीं चाहता। अपनी इच्छा से न धन मांगता है न पद मांगता है। मां ने इसे सम्मान पूर्वक जो भी पद दे दिया उसी पद को मां का आदेश समझता है।

आइये, 'आर्यसमाज के संगठनात्मक और सैद्धान्तिक स्वरूप' को पढ़कर एक ऐसे विश्व-व्यापी परिवार के गौरवशाली सदस्य बनकर अपना भी गौरव बढ़ाएं, जिस परिवार का निर्माण सन् १८७५ ई० में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने एक पिता रूप में किया था जिसे स्वयं महर्षि ने नाम दिया आर्यसमाज और जिसे हम सबने समझा आर्यसमाज रूपी माता। हमारा कोई भी कार्य इस पवित्र माता के आंचल पर दाग लगाने योग्य न हो।

'आर्यसमाज का संगठनात्मक एवं सैद्धान्तिक स्वरूप' निरन्तर उज्ज्वल होता चला जाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सब लगातार सुधारवादी दृष्टि बनाए रखें। इस ग्रन्थ को पढ़कर आपके मन में जो भी संशोधन के भाव उत्पन्न हों उन्हें कृपापूर्वक हमें प्रदान करके कृतार्थ करें।

– विमल आर्य

मंत्री, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

1

संगठन शक्ति

आर्यसमाज एक विशाल संगठन है। एक व्यक्ति केवल एक स्थानीय आर्य समाज मन्दिर का पदाधिकारी होकर बेशक इसे पहचान न पा रहा हो, परन्तु चिन्तन, मनन से ऐसा एहसास तब किया जा सकता है जब हम महर्षि दयानन्द जी के विचारों, कार्यों और सिद्धान्तों पर गहरी दृष्टि डालें और आर्यसमाज के सारे विश्व में व्याप्त संगठन के कार्यों पर दृष्टि डालें।।

आर्यसमाज विश्व की किसी भी समस्या का उत्तर देने में सक्षम रहा है और आगे भी हो सकता है, शर्त केवल यही है कि हम अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहकर, सर्म्पण भावना से तथा कर्मठता से आर्यसमाजों का संचालन करें या उनमें सहयोग करें। आर्यसमाज का सदस्य तो कोई भी बने परन्तु सभासद केवल उन्हें बनाया जा सकता है जो निम्न नियमों पर चलते हो।

हमारा लक्ष्य - **हमें विश्व में एक सार्थक आवाज बनना है।**

संगठन शक्ति का निर्माण करने के तीन उपाय हैं और तीनों का **धारण करना सभासद् बनने** हेतु परम आवश्यक है।

1. सदाचार एवं सिद्धान्तों पर अडिग :

महर्षि दयानन्द जी के बताए सिद्धान्त पूर्ण रूप से वैदिक है। उन पर बिना किसी तोड़-मरोड़ के आचरण होना चाहिए।

1. हमारे अपने आचार-व्यवहार, रहन-सहन, बोल-चाल में से एक **आर्य पुरुष की झलक मिलनी चाहिए। हमारी शक्ल देखकर लोगों को किसी चिड़-चिड़ेपन, गुस्सैल या स्वार्थीपन, लालची** आदि होने की झलक न मिले तो हमारे लिए भी अच्छा और आर्य समाज के लिए भी।

हम पूर्ण विनम्रता के साथ भी अपने सिद्धान्तों पर चल सकते है। अपने परिवार तथा समाज को अधिक प्रेरित कर सकते है।

2. हमारे सिद्धान्तों में प्रमुख है -

(क) **ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर स्वयं को आध्यात्मिक बनाना।** तब परिवार और समाज को हमारा जीवन स्वयं ही बता पाएगा कि मूर्ति पूजा के बिना व्यक्ति अधिक आध्यात्मिकता का लाभ उठा पाता है। गुस्सा आपके विवेक, बुद्धि का विनाश कर देगा।

(ख) श्राद्ध तर्पण आदि में विश्वास न करना अपितु समस्त बुजुर्गो, समान आयु के लोगों को पूरा सम्मान देना तथा बच्चों में प्यार-दुलार बांटना ही श्राद्ध भावना है।

(ग) **सामाजिक बुराईयों** जैसे दहेज, शराब, मांस, सिगरेट चाय आदि के विरुद्ध हम अन्य लोगों को प्रेम और विनम्रता के साथ तभी प्रेरित कर पाएंगें जब हमारा अपना जीवन और परिवार इन बुराईयों से पूर्णतः मुक्त हो।

इन सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध मन का एक पवित्र और सच्चा संकल्प ही आपको महान बना सकता है। इनके अतिरिक्त दर्जनों अन्य सिद्धान्त है जिन्हें अपनाए बिना हम समाज के पदाधिकारी या सभासद् बनने के योग्य नहीं बन सकते। आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द द्वारा बताए वैदिक सिद्धान्तों पर विशेष रूप से पृथक चर्चा अध्याय 11 में की गई है।

2. सदस्यता शुल्क - समर्पण एक प्रतिशत धन का

क्या हमारी कमाई केवल अपने परिवार के लिए है ? नहीं। तो इतनी विशाल कमाई में से क्या **प्रत्येक 100 रुपये के पीछे हम एक रुपया अपने आर्यसमाज** के महान कार्यो के लिए समर्पित नहीं कर सकते। यदि सब लोग ईमानदारी के साथ इस एक प्रतिशत के नियम का पालन करें तो समाज के कार्यो के लिए हमारा धन गैर- आर्यो के धन का दान लेने में भी सक्षम होगा। एक बार इसका भी संकल्प लें। जिन लोगों ने ऐसा धन समर्पण किया उनका व्यक्तिगत उत्थान भी होता है।

10,000/- रुपये मासिक कमाई का अर्थ 100/- रुपये मासिक सदस्यता शुल्क।

जिसकी कमाई एक लाख रुपये मासिक है क्या वह धनी व्यक्ति प्रतिमाह एक हजार रुपये सहयोग दे पाने के योग्य नही ?

यदि आपको आर्यसमाज से वास्तविक लगाव है, इन कार्यों को करने की अभिलाषा है तो यह नियम आपको भी बुरा नहीं लगेगा।

धन के रूप में यह एक प्रतिशत समर्पण तो केवल शुरूआत है। जिन्हें पूर्ण लगाव हो जाता है वे पूर्ण समर्पण के लिए भी तैयार हो जाते है।

3. कर्मठता :

कर्मठता से हमारा अभिप्राय स्पष्ट है कि हम **आर्यसमाज के कार्यों को करने के लिए कितने तत्पर रहते है।**

हमारा मन्तव्य होना चाहिए - **इस शरीर का सिर से लेकर पैर तक, दिन के, माह के, वर्ष के, जीवन के किसी भी समय में जैसा भी प्रयोग आर्यसमाज के हित में अपेक्षित हो, उसके लिए हम सदैव तत्पर रहे।**

हम निरन्तर आर्यसमाज के कार्यों में रुचि लेते रहे। पदाधिकारी हो या न हो, परन्तु आर्यसमाज के कार्यों में लगन सदा बनी रहें।

क्या ऐसी कर्मठता के सामने सत्संगों में **25 प्रतिशत उपस्थिति** किसी को भारी नियम लगेगा। अर्थात् वर्ष के 52 रविवारीय संत्सगों में से न्यूनतम 13 उपस्थितियां नियमानुसार तो सभासद बनने की योग्यता दे सकती है। परन्तु एक महान आर्य समाजी बनने के लिए तो हमें आर्यसमाज के प्रत्येक कार्य, प्रत्येक संत्सग में न केवल उपस्थित ही रहना चाहिए अपितु बढ़-चढ़ कर अपनी योग्यता, सामर्थ्य और शरीर का लाभ प्रस्तुत करना चाहिए।

जरा सोचिए

सभासद बनकर हमारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि -

☞ बिना कार्य करते हुए **आर्यसमाज का यश** लाभ हमें मिलता रहे।

☞ आर्यसमाज के साधन, **सम्पत्तियों पर हमारा** व्यक्तिगत कब्जा हो जाए या इन साधनों की आय का उपयोग सामाजिक कार्यों के स्थान पर हम अपने हितों में कर रहे हों।

☞ **वेतन भोगी कर्मचारियों** के माध्यम से पारम्परिक कार्य, हवन, सत्संग आदि चलते रहे। कुछ नया हो या न हो।

☞ बिना सोचे समझे और बिना सिद्धान्तों की परवाह के कही हम आर्य समाज को एक सामान्य सामाजिक संस्था की तरह तो नही चला रहे।

स्वतन्त्र आर्य संस्थाएं सार्वदेशिक या प्रान्तीय सभाओं के साथ सम्बद्ध हों

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी बैठक (दिनांक 26 दिसम्बर, 2003), अन्तरंग बैठक (27 दिसम्बर, 2003) तथा साधारण अधिवेशन (28 दिसम्बर, 2003) में प्रस्तुत एवं संशोधनोपरान्त सर्वससम्मति से स्वीकृत एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव के अनुसार स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही आर्य संस्थाओं को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा अथवा उनके प्रान्त की आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध घोषित करने के नियमों, फार्मों, प्रस्ताव, तथा शपथ-पत्र आदि के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया गया।

आर्य संस्थाएं जैसे गुरुकुल, आश्रम अन्य शिक्षण संस्थाएं आदि इस प्रक्रिया के तहत सार्वदेशिक अथवा प्रान्तीय सभाओं के साथ सम्बद्ध हो सकेंगी। उन संस्थाओं को यह सम्बद्धता सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी जो आर्य समाजों और सभाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही एक समानान्तर संगठन की तरह कर रहे हैं।

सम्बद्धता स्थापित करने की यह पूर्व शर्त होगी कि वांछित प्रस्ताव में व्यक्त की गई शर्तों को सम्बद्ध होने वाली संस्था विधिवत अपने संविधान में शामिल करें।

जो संस्थाएं केवल प्रान्तीय सभाओं से सम्बद्धता प्राप्त करने में इच्छुक है उनके लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया इसी रूप में अनुपालनीय होगी और इस प्रक्रिया के उपरान्त प्रान्तीय सभा नई संस्था के सम्बद्धता प्रस्ताव को अन्तिम निर्णय हेतु सार्वदेशिक सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

इस सम्बद्धता अभियान को प्रारम्भ करने का विचार कर्त्तव्यनिष्ठ स्वतन्त्र आर्य संस्थाओं की मांग पर ही तैयार किया गया। इस प्रक्रिया के

तहत सम्बद्ध होने वाली संस्थाओं की सूची तथा कार्य विवरण सार्वदेशिक/प्रान्तीय सभा के वार्षिक विवरणों तथा मुख पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। आर्यसमाजों तथा आर्यजनों को इसके लिए अनुशासित किया जाएगा कि वे केवल सम्बद्ध आर्य संस्थाओं को ही दान तथा अन्य सहयोग प्रदान करें। असम्बद्ध संस्थाएं आर्यसमाजों एवं आर्यजनों के सहयोग एवं दान से सदा वंचित रहेंगी।

आर्य संस्थाओं को सभाओं के साथ सम्बद्ध करने का मुख्य उद्देश्य अनुशासन की स्थापना करके आर्यसमाज की शक्ति के बिखराव को रोकना है, जिसमें समूचे आर्य जगत् का सहयोग अवश्यमभावी है।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तहत एक सम्पत्ति सुरक्षा समिति बनाई जाएगी जो इस सम्बन्ध में समस्त निर्णय तथा विधि सम्मत कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

सम्बद्धता की प्रक्रिया

(क) आर्य संस्थाओं द्वारा आवेदन फार्म तैयार करके सार्वदेशिक अथवा प्रान्तीय सभा के समक्ष अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) आर्य संस्था अपनी साधारण सभा बैठक में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करके प्रधान,मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों सहित आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।

(ग) आर्य संस्था के निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जो सार्वदेशिक सभा द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही होगा।

नोट : सम्बद्धता फार्म, शपथ पत्र तथा प्रस्ताव आदि के प्रारुप के लिए देखें संलग्नक 'क'।

2

भवन सम्पत्ति सुरक्षा

इस विषय के अन्तर्गत दो पक्ष है - एक कानूनी/तकनीकी तथा दूसरा प्रचार-प्रयोग से सम्बन्धित।

प्रथम पक्ष - कानूनी तथा तकनीकी

भवन सम्पत्तियों का मूल आधार भूमि होती है। अतः हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस भूमि पर हमारा भवन खड़ा है वह भूमि कानूनी रूप में किसके नाम है। कानूनी से स्पष्ट अभिप्राय है कि तहसील/कानूनगो/एस0डी0एम0 इत्यादि के रिकार्ड में भूमि का मालिक किसे दिखाया गया है।

इसके लिए आवश्यक है कि उन तरीको का अध्ययन किया जाए जिनसे भूमि प्राप्त होती है -

1. खरीद कर :

आर्यसमाज ने यह भूमि किसी व्यक्ति/संस्था से मूल्य देकर खरीदी हो तो यह आवश्यक है कि इस विक्रय तथा पूरे लेन-देन को सम्बन्धित सरकारी रिकार्ड में दर्ज करवाया जाए।

1. समस्या : गलती यह हो सकती है कि लेन-देन कागजों पर कर लिया, परन्तु सरकारी रिकार्ड में मलकीयत बदलने के लिए प्रयास ही नहीं किया

समाधान : उन लेन-देन वाले कागजों के आधार पर आज ही सरकारी रिकार्ड में नाम बदलने का प्रयास प्रारम्भ कर दें।

यदि आवश्यक हो तो उस सम्बन्धित विभाग के प्रबुद्ध अधिकारियों को विश्वास में लेकर उसी विभाग पर आदलत में कार्यवाही भी की जा सकती है। अदालत का छोटा सा आदेश इन अधिकारियों से काम लेने की अवस्था पैदा कर देगा। अन्यथा पुराने रिकार्ड पर कार्यवाही कभी-कभी मुश्किल भी हो जाती है।

इस प्रकार और भी कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। अतः कानूनी विचार विमर्श ऐसे व्यक्तियों से ले जो स्वार्थवादी न लगते हो। सोच समझकर ही कार्यवाही करें। अच्छा हो कि प्रान्तीय सभा या सार्वदेशिक सभा स्तर के कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करें।

2. वसीयत द्वारा :

अक्सर आर्य समाजों को दान में भूमि प्राप्त होती है। उसका सर्वोत्तम रूप तो यह है कि दानी व्यक्ति को समझाया जाए कि वे अपने जीवन काल में ही इस दान भूमि को आर्यसमाज के नाम चढ़वा दें तथा भूमि का कब्जा भी अधिकारियों को प्रदान करवा दें।

दूसरी अवस्था में कब्जा आर्यसमाज को दे दिया हो परन्तु सरकारी विभाग में चढ़वाने का कार्य मृत्यु के बाद करवाना पड़े तो हो सकता है परिजन आपत्ति दाखिल कर दें। आर्यसमाज का पक्ष ऐसी अवस्था में मजबूत होता है।

तीसरी अवस्था-अधिकतर लोग वसीयत कर देते है परन्तु उनके देहावसान के पश्चात् उनके परिवार जन उस भूमि का कब्जा नहीं देते। ऐसे में समस्या केवल अदालतों से ही निपट सकती है फिर भी आदर मान देकर उन परिजनों को समझाना चाहिए।

3. सरकार द्वारा आबंटन :

भूमि प्राप्त करने की यह सर्वोत्तम अवस्था है जिससे कानूनी अड़चने बहुत कम होती है। आबटन प्रक्रिया में दो प्रकार है - प्रथम पूर्ण बाजार कीमत देकर, दूसरा सरकार द्वारा स्वतः भूमि प्रदान किया जाना। इन दोनों

में दूसरे प्रकार से प्राप्त भूमि लाभकारी है क्योंकि इसमें सरकार केवल टोकन-राशी ही प्राप्त करती है।

कभी-कभी कुछ बीच के सरकारी अधिकारी यह आपत्ति लगा देते है कि आर्यसमाज एक धार्मिक संस्था है। पंथनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक संस्थाओं को भूमि नहीं दी जा सकती।

आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आर्यसमाज सामान्य पथों, सम्प्रदायों की तरह नहीं है बल्कि हमारा धर्म मानवतावादी है। हम भूमि का प्रयोग मानवीय सेवाओं के लिए करते हैं (प्रयोग की चर्चा आगे की गई है) हमारा आर्यसमाज एक परोपकारी और मानव सेवा को समर्पित मिशन है। इन विचारों के बल पर भूमि लगभग मुफ्त प्राप्त हो जाती है।

प्रथम प्रकार अर्थात् बाजार कीमत देकर जब सरकार से भूमि प्राप्त करनी हो तो उसके लिए कीमत प्रदान करते ही भूमि आर्यसमाज के नाम चढ़वा लेनी चाहिए।

4. पुरानी भूमियां :

जहां आर्यसमाजों को स्थापित हुए 40-50 से अधिक वर्ष हो चुके हो तो वह भूमि स्वतः ही मलकीयत पूर्ण मानी जाती है। परन्तु ऐसी भूमि पर इतने पुराने समय से आर्यसमाज स्थापित होने तथा नियमित संचालन के सुदृढ़ प्रमाण अपने पास उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे प्रमाणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। सरकार या प्रशासन में जब भी अनुकूलता नजर आए, तभी ऐसी भूमियों के रिकार्ड आर्यसमाज/प्रान्तीय सभा के नाम चढ़वा लेने चाहिए।

5. किराएदारियां :

बहुदा आर्यसमाजों में दुकाने बना कर किराए पर देने की प्रथा देखने में आती है। सिद्धान्ततः इस कार्य से आर्यसमाज मन्दिर का सामने का स्वरूप बिगड़ता है और कुछ समय बाद विवाद जन्म लेना प्रारम्भ कर देते है अतः किराएदारियों के झंझट से बचने का ही प्रयास करें।

पुरानी किराएदारियों से जगह खाली करवाने का मार्ग है कि आप अपने समाज की गतिविधियों को बढ़ाए और अदालत से स्थान खाली करवाने का निवेदन करें। परोपकारी गतिविधियों के नाम पर स्थान खाली करवाना भी सुगम होता है।

किराएदारों से सदैव एक नियमित अवधि का सम्बन्ध स्थापित करें जिसमें यह शर्त होनी चाहिए कि इस अवधि के बाद खाली करवाने, किराया बाजार दर के अनुसार बढ़ाने आदि का अधिकार आर्यसमाज का होगा।

6. भूमि किस के नाम हो :

आर्यसमाज का संगठनात्मक ढांचा बड़ी सोच-समझ कर तैयार किया गया था - आर्यसमाज, प्रान्तीय सभा तथा सार्वदेशिक सभा।

आर्यसमाज का कार्य अधिकाधिक प्रचार तथा जनसम्पर्क का है। प्रान्तीय सभाओं का कार्य आर्यसमाजों का प्रशासनिक नियन्त्रण, संरक्षण तथा सार्वदेशिक और आर्यसमाजों के बीच कड़ी की भूमिका निभाने का है। सार्वदेशिक सभा का कार्य सिद्धान्त रक्षण, प्रचार कार्यों की प्रेरणा, नए आन्दोलनों की रूपरेखा तैयार करना तथा आर्यसमाजों के इस सम्पूर्ण नेटवर्क को प्रान्तीय सभाओं के माध्यम से नियन्त्रण में रखना हैं।

अतः स्पष्ट है कि आर्यसमाजों की भूमि केवल प्रान्तीय सभाओं के नाम ही होनी चाहिए तभी उसका संरक्षण भी हो सकेगा। प्रान्त में समानान्तर सभाएं एक समस्या हो सकती है परन्तु ऐसे में सार्वदेशिक सभा का नियन्त्रण आर्यसमाजों की रक्षा करने में सहायक सिद्ध होता है।

सार्वदेशिक सभा के समानान्तर सभा चलना आज तक सफल नहीं हो पाया। बल्कि समस्त आर्यजनों को इस वस्तुस्थिति से अवगत रहना चाहिए कि स्वार्थी तत्व समानान्तर सभाओं का संचालन केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते है।

आर्यसमाज के नाम भूमि करवाने के बाद जब कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका समाधान बहुत कठिन हो जाता है। यह एक अनुभव पर आधारित निश्चित विचार है।

अतः संवैधानिक परम्पराओं का पालन करते हुए आर्यसमाजों की सम्पत्तियां, भूमि आदि प्रान्तीय सभा के नाम ही करवानी चाहिए।

दूसरा पक्ष - प्रचार, प्रयोग

भवन सम्पत्तियों का सदुपयोग

सदुपयोग से स्पष्ट अभिप्राय यह है कि आर्यसमाजों के भवन सम्पत्तियों का प्रयोग केवल हमारे संस्थागत उद्देश्यों, मन्तव्यों और सिद्धान्तों के अनुरूप ही हो। इनके विरुद्ध कदापि नहीं।

आर्यसमाजों में विद्यालय, अनाथालय, गुरुकुल, विधवाश्रम, छात्रावास आदि कुछ भी कार्य करे परन्तु इनकी समितियां पूर्ण रूप से आर्यसमाज के या सभाओं के अधीन हो, इन्हें स्वतन्त्र रूप से पंजीकृत न करवाया जाए। स्वार्थी लोग ऐसे विचार देते है कि कुछ सरकारी दान सहायता आदि के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि सहायता आदि तो आर्यसमाज या प्रान्तीय सभा के नाम से भी प्राप्त हो सकती है।

आर्यसमाजों में पारम्परिक कार्य सन्ध्या, यज्ञ, प्रवचन आदि नियमित अर्थात् प्रतिदिन होने चाहिए। केवल साप्ताहिक संत्सगों से सप्ताहभर सूनापन छाया रहता है तथा दुरुपयोग करने वालों की निगाह भी ऐसी सम्पत्तियों की तरफ ही जाती है।

1. क्या करें :

1. प्रतिदिन सन्ध्या, यज्ञ के अतिरिक्त ध्यान योग शारीरिक आसन हेतु प्रतिदिन प्रातः सायं कोई समय निर्धारित करके क्षेत्र में प्रचारित करें।

2. विभिन्न वर्गों के लिए चर्चा परिचर्चा आदि या गोष्ठिया आयोजित करे जिनके विषय आर्यसमाज सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। जैसे :

- ☞ युवकों के लिए 12वीं के बाद शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र और उन पर विचार-विमर्श केन्द्र चलाना।
- ☞ शिक्षा के बाद रोजगार के विभिन्न अवसर।

- युवकों में शिक्षा के साथ शारीरिक व्यायाम, खेल कूद
- आध्यात्म और विज्ञान विषयों पर चर्चा।
- चरित्रवान बनने के लिए गोष्ठिया।
- पढ़ने वाले बच्चों के लिए सामूहिक ट्यूशन व्यवस्था।
- महिलाओं के सत्संग नियमित रूप से।
- महिलाओं को विभिन्न कलाओं का ज्ञान कराना। विशेष रूप से सिलाई, कढ़ाई, स्वेटर बुनना, खाने-पीने विभिन्न व्यंजन/पेय बनाने की कला सिखाने की व्यवस्था करना।

3. आर्यसमाजों में विभिन्न प्रकार के सेवा सहायता प्रकल्प चलाना। जैसे चिकित्सालय, कम्प्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय स्थापित करना।

4. लोगों को वैदिक रीति से अपने परिवारों के जन्मदिन तथा अन्य सभी सुख-दुख के संस्कार आर्यसमाज मन्दिरों में करवाने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि केवल वैदिक प्रक्रियाए ही सम्पन्न हों।

2. क्या न करें :

- विवाह पार्टियों का आयोजन आर्यसमाज के सभागार आदि में अपेक्षित कार्य नहीं है। इससे मन्दिर की पवित्रता नष्ट होती है।
- जागरण, श्राद्ध, गुरु पूजा तथा अन्य अवैदिक कार्यों के लिए भवन मन्दिरों के प्रयोग की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती।
- राजनीति दलों की बैठकों का आयोजन भी आर्यसमाज भवनों में अपेक्षित नहीं है।

इस प्रकार आप महसूस करेंगे कि यदि आप आर्यसमाज मन्दिरों का अधिकाधिक प्रयोग प्रचार कार्यों में करना प्रारम्भ कर देगें तो दुरूपयोग की सम्भावनाएं स्वतः ही कम हो जाती है।

अधिकाधिक प्रचार कार्य अधिकाधिक सुरक्षा

3

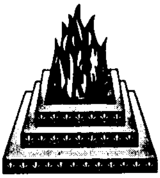

प्रचार अभियान के नए आयाम यज्ञ का दायरा बढ़ाए

आर्यसमाज का **संगठन एक बहुआयामी स्वरूप है।** मानव जीवन से सम्बन्धित सम्भवतः कोई ऐसा पक्ष नहीं होगा जिसको हम आर्यसमाज और महर्षि दयानन्द के मन्तव्यों और वैदिक सिद्धान्तों की दृष्टि से न देख पाए। परिणामतः हमारा निष्कर्ष यह निकलना चाहिए कि सिद्धान्त में हम मजबूत रहें परन्तु जीवन के प्रत्येक आधुनिकतम पक्ष को वैदिक सिद्धान्तों की कसौटी पर जांचने के बाद उन्हें केवल आधुनिकता के नाम पर अनछुआ न छोड़ दे।

प्रचार करने के सैकड़ों तरीके हो सकते है, इस विषय में एक अलग ट्रैक्ट भी विस्तार पूर्वक लिखा जा सकता है परन्तु सूत्र रूप में हम यहां कुछ पहलुओं पर यह चर्चा कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि **हमारे कार्यक्रम केवल आर्यसमाजी परिवारों तक ही सीमित** न रहे अपितु सामान्य जनता भी इनमें रुचि ले तथा सहयोग करें। हर सेवा एक यज्ञ है - **आईए, यज्ञ का दायरा बढ़ाए।**

1. जहां तक हो सम्भव हो सके **वैदिक विद्वानों को निर्धारित विषयों पर प्रवचन** के लिए बुलाए। यह विषय जन सामान्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले हो। प्रवचन से 4-6 दिन पूर्व उन विषयों को लेकर अधिक से अधिक जनता में प्रचार करें। वैदिक धर्मप्रचार का यह सर्वोत्तम रूप है।

2. यदा-कदा **प्रवचन यज्ञ आदि** के कार्यक्रम अलग-अलग गली **मोहल्लों में सार्वजनिक स्थलों** पर भी करने चाहिए।

3. साप्ताहिक सत्संग आर्यसमाजों में बेशक होता रहे परन्तु सप्ताह में एक समय बारी-बारी से सदस्यों के **घरों पर भी यज्ञ प्रवचन** आदि आयोजित करें। जिस सदस्य के घर पर यह कार्यक्रम हो वे अपने पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी इसमें बुलाएं। ऐसे सत्संगों में बार-बार यह प्रचारित करना चाहिए नये लोग आर्यसमाज के सदस्य बनें।

4. **संगीत पर आधारित मधुर भजनों** के भी विशेष कार्यक्रम आर्यसमाजों में या उससे बाहर आयोजित करें।

5. जिला स्तरों पर या शहरों में अपनी क्षमता के अनुसार **वेद प्रचार वाहन बनाएं,** इस प्रोजेक्ट को **बहुत खर्चीला न रखें। कोई सस्ता सा पुराना वाहन लेकर उसके चारों ओर रंगदार वाक्य लिखवाकर प्रचार के लिए एक माईक रखे तथा साहित्य वितरण का कार्य करें।**

6. यदि प्रचार वाहन की ही तरह एक **शव वाहन** की भी योजना जिला और शहर स्तर पर बनाई जाएं तो वह भी प्रचार का अच्छा माध्यम बन सकता है। ऐसे कार्यो में सामान्य जनता भी उदारतापूर्वक सहयोग देती है।

7. प्रत्येक जिले में कम से कम एक गुरुकुल अवश्य होना चाहिए गुरुकुल खोलने की योजना यदि न बनाई जा पा रही हो तो किसी एक आर्यसमाज में छात्रावास गरुकुल भी बनाया जा सकता है। बच्चे बेशक नजदीक के सरकारी स्कूल में शिक्षा ले परन्तु छात्रावास की तरह आर्यसमाज में रहें। उनकी देखभाल आर्यसमाज के अधिकारी सेवा भाव से करें। ऐसे कार्यो में भी जन-सामान्य सहायता के लिए तत्पर रहते हैं।

8. अच्छे प्रवचनों या लेखों को **ट्रैक्ट रूप में** छपवाकर या प्रेरक कथनों के स्टीकर छपवाकर घर-घर में बटवाएं। ऐसे ट्रैक्टों में आर्यसमाज के नाम के साथ-साथ **दानियों के नाम भी छापे** तथा अन्य लोगों को इस प्रकार के ट्रैक्ट छपवाने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार का प्रकाशन एक चक्र की तरह चल पड़ता है। ऐसे ट्रैक्ट बच्चों के लिए तथा स्टीकर चिपकाने के लिए रेल, बस, ऑटो रिक्शा तथा दुकानें उचित स्थान हैं।

9. जिले या शहर की सभी समाजें मिलकर सारे शहर और गांव की दीवारों पर भी प्रेरक वाक्य लिखवाने का कार्य प्रारम्भ करें। 10-12 प्रकार के स्टेन्सिल कटवा कर कोई भी साधारण कर्मचारी रंग और ब्रुश से यह कार्य सारे क्षेत्र में कर सकता है।

10. **वैदिक संस्कारों** के माध्यम से भी अधिक उपयोगी प्रचार होता है। इस विषय पर अलग से चर्चा की जाएगी।

11. **झुगी झोपड़ियों, दलित बस्तियों तथा गांव-गांव में गरीबो के बीच स्वयं जाकर प्रेरणात्मक** विचार रखें। इन क्षेत्रों के लोगों को आर्यसमाज की इकाई बनाने के लिए प्रेरित करें। इन क्षेत्रों की उपेक्षा कदापि न करें क्योंकि **ऐसे क्षेत्र में धर्मान्तरण सर्वाधिक होता है।** धर्म परिवर्तन की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखे। अधिक से अधिक सहायता सम्पन्न और मध्यम वर्ग के लोगों से एकत्रित करके ऐसे लोगों को बांटे। इस कार्य में भी सामान्य जनता को अवश्य जोड़े।

12. प्रत्येक क्षेत्र में आर्यसमाज द्वारा संचालित विद्यालयों के अतिरिक्त जितने भी सरकारी या निजी विद्यालय हो उन **विद्यालयों में जा-जाकर बच्चों को प्रेरक प्रवचन दें।** प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों बच्चों को छोटे-छोटे पुरस्कार बांटे, ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर अपने प्रवचन भी प्रसारित करें तथा ऐसे कार्यक्रमों का खर्च वहन करने के लिए सामान्य जनता में से प्रमुख लोगों को अतिथि बनाकर भी उन्हें दान के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

13. प्रत्येक जिला या शहर से कुछ बच्चों को गुरुकुल शिक्षा के लिए प्रेरित करें, उन्हें **छात्रवृत्तियां भी** दे क्योंकि यही ब्रह्मचारी बड़े होकर प्रचारक बनकर आर्यसमाज की सम्पत्ति बनेगें।

14. **सन्ध्या को शामिल करके ध्यान और योग के** लिए नित्य कार्यक्रम निर्धारित किए जाए और जनता को जोड़ने के लिए इसका खूब प्रचार किया जाए। **'ओ३म्'** के उच्चारण का प्रचार करना चाहिए। शहरों में प्रातः भ्रमण वाले स्थलों पर ऐसे कार्यक्रम सुगमता से हो सकते हैं।

15. नये लोगों को **सन्ध्या, यज्ञ**, का प्रशिक्षण देने के लिए 4-6 दिन के विशेष कार्यक्रम शिविर रूप में बनाए। बेशक ऐसे कार्यक्रमों में 8-10 की संख्या में बारी-बारी से लोगों को शामिल किया जाएं। इसके अतिरिक्त मन्त्रार्थ स्वाध्याय शिविर भी आर्य परिवारों के लिए विशेष रूप में आयोजित किया जाए।

16. बहुत कम खर्च पर चिकित्सालय आदि की सुविधा भी प्रारम्भ की जा सकती है। नियमित पुस्तकालय प्रारम्भ करने के लिए तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं। इससे क्षेत्र के सामान्य नागरिक आर्यसमाज का साहित्य, समाचार आदि पढ़ पाते है।

17. बच्चों, युवकों और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए उन पर भी अलग से चर्चा की जाएगी।

18. आर्यसमाजों के सभी सदस्य आपस में शालीनता पूर्वक विभिन्न विषयों पर परस्पर ज्ञान लाभ के लिए चर्चा अवश्य किया करें।

19. आर्य पर्वों के अतिरिक्त महान् देशभक्तों के जन्मदिन, पुण्य तिथि तथा अन्य विशेष दिवसों पर भी सम्भव हो तो आयोजन करें। अन्यथा इनको मुख्य विषय बनाकर अपने वैदिक मन्तव्यों से सुसज्जित लेख कम से कम 10-15 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में अवश्य भिजवाएं। (ऐसे कुछ विशेष दिवसों की सूची के लिए देखें संलग्नक 'ख')

20. आर्य परिवारों के कम्प्यूटर प्रशिक्षित बच्चों को इण्टरनेट के माध्यम से भी अपने विचार प्रचारित करने के लिए प्रेरित करें। इण्टरनेट पर कई मतों के चर्चा केन्द्र on line के नाम से चल रहे है। बच्चे उसमें भाग लेगें तो उन्हें उसमें बहुत रुचि आती है। ऐसा ही एक केन्द्र aryasamajonline नाम से भी चल रहा है।

21. स्वार्थ और आलस्य त्यागकर दया और प्रेम फैलाने का कार्य घर-घर और गली-गली में करें। अपना आचार-विचार और व्यवस्था उत्तम कोटि की रखें। कथनी और करनी में भिन्नता न हो।

22. सार्वदेशिक सभा द्वारा सत्संग कार्यक्रम में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी आर्यजन सत्संग उसी के अनुरूप आयोजित करें। प्रचारकों, विद्वानों तथा संन्यासियों का लाभ किस प्रकार उठाया जाए इस पर भी अलग से चर्चा होगी। (साप्ताहिक सत्संग का प्रारुप देखें संलग्नक 'ग')

23. स्थानीय बुद्धिजीवी वर्गो में विशेष सम्पर्क रखें। उनके पेशे को दृष्टि में रखते हुए सम्बन्धित वैदिक विचारों की गोष्टिया परिचर्चायें, प्रवचन आयोजित करने या ट्रेक्ट प्रकाशित करके इन्हें भी आर्यसमाज की ओर आकर्षित करें जैसे वकील, न्यायाधीश, डॉक्टर, व्यापारी वर्ग, अध्यापक अन्य सरकारी कर्मचारी, पत्रकारिकता, मीडिया से सम्बन्धित आदि। आर्य समाज का मूल स्वरूप एक दार्शनिक संस्था का है, इसे स्थापित करने का प्रयास करें।

24. प्रत्येक आर्यसमाज को प्रतिदिन प्रचार का केन्द्र बनाया जाए। कार्यक्रम से पूर्व और पश्चात् कैसेट आदि लगाकर भी प्रचार को लम्बा किया जा सकता है।

25. शंका, समाधान, गोष्ठी, कवि संगीत, वैदिक विषयों पर गोष्ठी, हास्य गोष्ठी, महिला गोष्ठी, बाल गोष्ठी तथा सहभोज आदि के कार्यक्रमों को भी समय-समय पर आयोजित करके प्रचार में आधुनिकता लाई जा सकती हैं।

26. आर्यसमाज के स्थानीय क्षेत्र में कोई भी बड़ी अपराधिक घटना या अन्य दुर्घटनाओं, दैविक प्रकोपो आदि के कारण पीडित परिवारों से तुरन्त सम्पर्क करके जहां तक सम्भव हो सके मेवा-सहायता उपलब्ध कराए अन्यथा सहानुभूती तो अवश्य व्यक्त करें। आप की तुरन्त प्रतिक्रिया को प्रैस वाले भी अच्छे रूप में प्रकाशित अवश्य करेगें।

27. संत्सग हाल, स्वच्छ, सुगान्धित, आर्कषक तथा भव्य हो।

28. प्रभात फेरियों या नगर संकीर्तन की परम्परा को भी हर्ष और

उल्हास के साथ आयोजित करना चाहिए।

29. हमारा लक्ष्य केवल धार्मिक लोगों को ही आकर्षित करने का नहीं होना चाहिए अपितु अधार्मिक और बिगड़े हुए जीवन वाले लोगों को भी आर्यसमाज रूपी वैदिक चुम्बक से जोड़े तो वे भी शुद्ध हो सकते हैं।

करत-करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान।
रसरी आवत-जावत है, सील पर पड़त निसान।।

परन्तु अधार्मिक लोगों को तब तक सभासद न बनाए जाए जब तक वे सार्वजनिक रूप से अपनी शुद्धि का संकल्प लेकर तदनुरूप आचरण प्रारम्भ न कर दें।

30. सब आर्यजन मन में यह विचार करें और समाधिस्त होकर यह कल्पना करें कि महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी श्रद्धानन्द, पं0 लेखराम, पं0 गुरुदत आदि साक्षात खड़े होकर उन्हें वैदिक सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार और सब लोगों को आर्य बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। इन महान आत्माओं की प्रेरणाओं को अपने मन मन्दिर में एक पवित्र संकल्प के साथ स्थापित करें। इसकी शुरूआत अपने परिवार और पड़ोसियों से तो अवश्य करें।

4

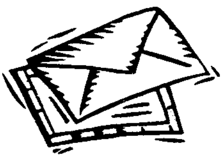

आर्यसमाज के प्रशासनिक कार्य

आर्यसमाज का संचालन करते समय यदि समस्त अधिकारियों में से एक की भी प्रशासनिक क्षमता अच्छी हो तो उसका लाभ उठाना चाहिए।

प्रशासनिक कार्यों से अभिप्राय इस प्रकार है :-

1. आर्यसमाज के कार्यालय का प्रतिदिन एक समय अवश्य निश्चित हो जब कोई न कोई अधिकारी वहां अवश्य उपस्थित रहे। जिससे जनता को सम्पर्क की सुविधा रहे। इस आशय की सूचना समाज के बाहर नोटिस बोर्ड पर रंग से लिखवा दी जाए।

2. प्रशासनिक कार्य में आर्यसमाज के समस्त पत्र व्यवहार तथा कानूनी दस्तावेजों को संरक्षण देना भी शामिल है।

3. समस्त सदस्यों के सारे परिवार की जानकारी रखना। नाम, जन्मदिन, विवाह तिथि, शिक्षा, रोजगार आदि की जानकारी रखना तथा हर प्रकार की उन्नति आदि पर शुभकामना प्रदान करना। जिससे पूरा परिवार आर्यसमाज के अधिकारियों के सम्पर्क में रहकर आर्यसमाज के प्रति समर्पित बना रहे।

4. सदस्यों के समान दानी महानुभावों का तथा उनके परिजनों का भी पूरा ब्योरा रखना तथा निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना। इससे आर्यसमाज का समर्थक दायरा बढ़ता चला जाता है।

5. आर्यसमाज के स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी उच्चाधिकारियों के सदैव सम्पर्क में रहना जैसे : जिलाधिकारी, उच्च पुलिस

अधिकारी, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश। इन अधिकारियों की पत्नियों - बच्चों को भी विशेष रूप से आर्यसमाज के उत्सवों में आमन्त्रित करें। ऐसे सम्पर्कों का समय पर बहुत लाभ होता है। ऐसे अधिकारी राजनीतिज्ञों से भी अधिक लाभकर साबित होते है। राजनीतिज्ञों की अपेक्षा जिला स्तर के इन अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना कठिन भी नहीं होता।

इन में से जो अधिकारी आर्यसमाज के प्रति विशेष रुचि लेते नजर आए या उनकी पृष्ठभूमि आर्यसमाजी परिवार से जुड़ी हो तो इसकी सूचना प्रान्तीय सभा तथा सार्वदेशिक सभा को अवश्य देनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को 500/- या 1000/- रुपये की लागत के स्मृति चिन्ह अथवा अन्य भेंट आदि के सम्मान से उत्साहित करना लाखों के बराबर का समर्थक बनाना है।

इस प्रशासनिक दायित्व का विशेष ध्यान रखे तथा बिना आलस्य के ऐसे महानुभावों से सम्पर्क करें।

6. दैनिक समाचार पत्रों में आर्यसमाज का निरन्तर नाम प्रकाशित होता रहे, इसके लिए निम्न विशेषप्रयास करके देखें :-

(क)आर्यसमाजों के विशेष कार्यक्रमों तथा प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग की सूचना एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में सभा सूचना के अन्तर्गत या विशेष समाचार की तरह भेजें जिसमें कार्यक्रम प्रवचन के विषय, वक्ताओं के नाम, कार्यक्रम का समय-स्थान आदि दिया जाए। इससे सामान्य जनता को भी इन कार्यक्रमों की जानकारी देकर उन्हें आकर्षित किया जा सकता।

(ख)अपने प्रत्येक कार्यक्रम की रिपोर्ट भी तत्काल तैयार करवाकर दैनिक समाचार पत्रों में भेजे। रपोर्ट तैयार करवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रमुख वक्ताओं के उद्बोधन में से जनोपयोगी, सामाजिक और राष्ट्रीय वक्तव्य प्रमुखता से शामिल किए जाए। रिपोर्ट में छोटी मोटी प्रक्रियाओं को नहीं लिखना चाहिए जैसे : अमूक व्यक्ति ने इतना दान दिया, अमूक व्यक्ति ने लंगर की व्यवस्था की। समाचार पत्रों के सम्पादक केवल जन रुचि के वक्तव्यों को प्रकाशित करने में ही इच्छुक होते है।

(ग) समाचार पत्रों में प्रतिदिन दर्जनों समाचार, लेख इत्यादि को आप पढ़ते है। इनमें से कुछ समाचारों आदि को देखकर ऐसा लगता है कि वे समाज और राष्ट्र के हित में है। इसी प्रकार कुछ लेख समाचार आदि राष्ट्र और समाज के विरुद्ध या आर्यसमाज की वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध लगते हैं। आप अपने आर्यसमाज के एक या अधिक प्रबुद्ध महानुभावों को विशेष रूप से इस कार्य के लिए नियुक्त कर दे कि समर्थन या विरोध में प्रतिदिन कुछ प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजें। इसके लिए केवल मात्र 50 पैसे के पोस्टकार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपकी आर्यसमाज प्रतिदिन 10 पोस्टकार्ड भी समाचार पत्रों को भेज पाती है तो प्रतिमाह लगभग 300 पोस्टकार्डों में से 5-10 तो प्रकाशित होगे ही। पांच रुपये प्रतिदिन की दर से यह खर्च लगभग 15 रुपये प्रतिमाह का है। इससे आर्य विचारों की गूंज समाचार पत्रों में अवश्य स्थापित रहती है।

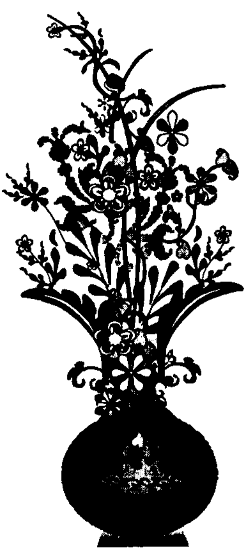

5

संस्कारों द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार

जिस प्रकार कहा जाता है कि संस्कारों से मानव का निर्माण होता है उसी सिद्धान्त का सामूहिक रूप है समाज का निर्माण अर्थात् एक सुदृढ़ संगठन एक ऐसे जन समूह का निर्माण जो वैदिक लक्षणों, सिद्धान्तों और प्रेरणाओं से ओतप्रोत हो।

पहले तो निश्चय करें कि क्या हम स्वयं समाज में संस्कारित माने जाते है। तो आईए, निश्चय करें कि हम अपने बाद अधिकाधिक समाज को भी संस्कारित करने के लिए विभिन्न संस्कार प्रक्रियाओं की सहायता से कार्य प्रारम्भ करें।

'मैं प्रतिदिन यज्ञ करता हूं या मैंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है इस का प्रदर्शन पूरे समाज में इस प्रकार होना चाहिए कि चाहे सारे दुनिया हिल जाए परन्तु मैं सत्याचरण के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता।'

क्या आप अपने पेशे, व्यापार, नौकरी, आस-पड़ोस, रिश्तेदारी में इस प्रकार का दावा कर सकते है ?

इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है कि हम समाज को यह कहने की स्थिति में भी है या नहीं, कि संस्कार प्रक्रियाओं को अपने जीवन में अपनाओं। अपने जीवन का दर्शन करवा कर संस्कार प्रक्रिया का प्रचार प्रारम्भ करें।

संस्कार विधि में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने मानव जीवन में जन्म

से पूर्व प्रारम्भ होकर मृत्युपरान्त तक 16 वैदिक संस्कारों का दर्शन प्रस्तुत किया है जो षोडश वैदिक संस्कार के नाम से प्रचलित है। पूरा समाज यहां तक कि पौराणिक वर्ग तथा अन्यमत भी इन्हें स्वीकार करते है। समस्त पदाधिकारी भी इनका स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जित करें कि ये संस्कार क्या है।

पुरोहित, प्रचारक, संन्यासियों में तो इन संस्कारों की उच्च स्तरीय विशेषज्ञता होनी चाहिए।

यहां संक्षिप्त में 16 संस्कारों का परिचय प्रस्तुत है।

कर्म ही ज्ञान और उपासना का जनक है। योगीराज श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी प्राणी शारीरिक, मानसिक और वाचक कर्म के बिना रह ही नही सकता।

आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित 'संस्कार विधि' के अनुसार मानव जीवन में शुभ संस्कारों का निर्माण उत्तम कर्म करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को 16 संस्कारों का शुभ आयोजन अपने परिवार में यथासमय अवश्य करना चाहिए -

1. **गर्भाधान संस्कार :** विवाह के बाद गर्भ धारण करने की प्रार्थना।

2. **पुंसवन संस्कार :** सामान्यतः गर्भ के दूसरे/तीसरे माह में नवागन्तुक आत्मा की देखभाल करने का संकल्प एवं प्रार्थना।

3. **सीमान्तोन्नयन संस्कार :** गर्भ के चतुर्थ माह में गर्भ की पूर्णता हेतु प्रार्थना एवं संकल्प।

4. **जातकर्म संस्कार :** नवजात शिशु का स्वागत

5. **नामकरण संस्कार :** नवजात शिशु के जन्म से ग्यारहवें या बारहवें दिन जीवन के लिए पवित्र संकल्प सहित नाम रखना।

6. **निष्क्रमण संस्कार :** जन्म के दो या तीन माह पश्चात शिशु को बाहर के संसार में ले जाने हेतु ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना।

7. **अन्नप्राशन संस्कार :** चार से छः माह की आयु में शिशु को अन्न सेवन प्रारम्भ करवाने की पद्धति।

8. चूड़ाकर्म संस्कार : जन्म के एक वर्ष पश्चात बुद्धि विकसित करने की प्रार्थना।

9. कर्णवेध संस्कार : तीन से पांच वर्ष की आयु होने पर आत्मबल और शारीरिक बल वृद्धि की प्रार्थना।

10. उपनयन संस्कार : विद्या अध्ययन हेतु जीवनयापन का पवित्र संकल्प। इसी अवसर पर यज्ञोपवीत भी धारण करवाया जाता है।

11. वेदारम्भ संस्कार : वैदिक शिक्षा प्रारम्भ करने का संकल्प।

12. समावर्तन संस्कार : शिक्षा पूर्ण होने पर एक योग्य व्यक्तित्व के रूप में स्वागत।

13. विवाह संस्कार : सामान्यतः 25 वर्ष की आयु में ग्रहस्थ आश्रम का शुभारम्भ करने हेतु एक उत्तम (गुण, कर्म स्वभाव में समान) जीवन साथी चुन कर शेष जीवन परस्पर उन्नति के लिए बिताने का संकल्प।

14. वानप्रस्थ संस्कार : इस आश्रम की अवधि 50 से 75 वर्ष के बीच होती है जब व्यक्ति अर्थ और काम से सन्तुष्ट होकर स्वाध्याय एवं सामाजिक कार्यों के माध्यम से जीवन यात्रा पर अग्रसर होता है।

15. संन्यास आश्रम : सामान्यतः 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर संस्कार के द्वारा व्यक्ति भौतिकवादी संसार के मोह को पूर्णतः त्याग कर ईश्वर सिद्धी में लग जाता है। यह आश्रम पूर्ण रूप से समाज के प्रति समर्पण है।

16. अन्त्येष्टि संस्कार : जीवन यात्रा जब आत्मा और शरीर के वियोग से समाप्त हो जाती है तो नश्वर शरीर को अग्नि में आहूत कर दिया जाता है जिससे पंचभूतों से बना यह शरीर उन्हीं पंच भूतों (अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश) में मिल जाए।

इसके बाद जीवन की यात्रा पुनः प्रारम्भ होती है और यह अनन्त यात्रा वैदिक विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुरूप तथा कर्मो के अनुसार फल प्रदान करती रहती है।

आईए ! आर्यसमाज के माध्यम से शुभ संकल्पों एवं संस्कारों को

अपना कर जीवन को सफल बनाएं। सुखी जीवन ही सुखी समाज और सम्पन्न राष्ट्र का आधार है।

आर्यसमाज की विचारधारा को घर-घर पहुंचाने के लिए एक बहुप्रचलित दृष्टिकोण इन संस्कारों से अलग भी है - **जन्म दिन यज्ञ**। इसके माध्यम से प्रचार कार्यक्रम कई गुणा बढ़ाए जा सकते है।

प्रत्येक आर्य प्ररिवार के प्रत्येक सदस्य को जन्म दिवस पर यज्ञ करने के लिए सह परिवार तथा मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों सहित आर्यसमाज मन्दिर में या उनके घर पर ही कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए प्रेरित करें।

आर्यसमाज मन्दिर में एक ऐसे रजिस्टर का निर्माण करें जिसमें तिथिवार सब परिवारों के सब सदस्यों के जन्म दिन अंकित हो। आगामी रविवारीय संत्सग से पूर्व उस सदस्य को सूचित कर दिया जाए कि आगामी रविवार को आपको जन्मदिन पर आर्यसमाज के साप्ताहिक संत्सग में प्रार्थना-शुभकामना दी जाएगी। इस सदस्य को आमन्त्रित करके अवश्य ही उपस्थिति लाभ होगा। उन्हें प्रेम से सामाजिक कार्यों की प्रेरणा दे। मीठे वचनों से उत्साहित करें।

उपरोक्त वर्णित 16 संस्कार तो अक्सर घरों पर ही आयोजित होते है। आर्यसमाज के अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि यज्ञ आदि प्रक्रिया से सम्बन्धित पूर्ण सामग्री एक किट रूप में तैयार रहे तथा किसी भी माध्यम से उसे पुरोहित, प्रचारक के पहुंचने से पूर्व ही घर पर पहुंचा दिया जाए या पुरोहित स्वयं लेकर जाएं।

इन संस्कारों, यज्ञों आदि पर एक विशेष ध्यान यह रखे कि इनके आयोजन में अधिक फिजूल खर्च से बचने की प्रेरणा दे। जन्म दिवसों पर भी बड़ी-बड़ी खर्चीली पार्टियों का आयोजन न हो केवल साधारण सा प्रसाद वितरण हो।

इन संस्कारों की प्रेरणाओं के लिए लघु ट्रेक्ट के माध्यम से तथा प्रवचनों के द्वारा विशेष रूप से प्रयास करें।

6

युवा और किशोर आर्यसमाज का भविष्य

आर्यसमाज एक सैद्धान्तिक संगठन है और सिद्धान्तों की रक्षा निःसन्देह वृद्ध व्यक्ति अपेक्षाकृत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। परन्तु जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति जीवन लीला को किसी वक्त भी समाप्त कर सकती है। इन सिद्धान्तों के साथ हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि नेता किस को कहते हैं। नेतृत्व करना मार्गदर्शक बनने के समान है। अतः जल्दी से जल्दी उन लोगों को तैयार करो जिनके आपको नेता कहलाना है।

जरा सोचिए हम इस समाज में किस प्रकार के लोगों का और कितनी संख्या में मार्गदर्शन कर पा रहे हैं।

समाज में सबसे अधिक जिन लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है वे हैं किशोर और युवा।

समाज के इस वर्ग का मार्गदर्शन करने के लिए आर्य कुमार सभाओं तथा सार्वदेशिक आर्य वीर दल की भी स्थापना की गई थी।

इसी आर्यवीर दल के माध्यम से आर्यसमाज की विचारधारा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य किया गया है।

भविष्य में प्रयास की गति लक्ष्यबद्ध करनी पड़ेगी।

कार्यक्रमों की रूपरेखा में भी समाज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नए पहलू जोड़ने पड़ेंगे। भविष्य में आर्यवीर दल के कार्यक्रम तीन निम्न पहलुओं से समन्वित हों।

1. शारीरिक और बौद्धिक

2. औपचारिक शिक्षा

3. रोजगार

1. शारीरिक और बौद्धिक :

आर्यवीर दल के वर्तमान कार्यक्रम इस पहलू से भरपूर कार्य कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के नाम पर युवाओं और किशोरों को बलिष्ठ और चुस्ती-फुर्ती से युक्त बनाने का प्रयास किया जाता है।

बौद्धिक के नाम पर वैदिक सिद्धान्त, चरित्र निर्माण और देश भक्ति का पर्याप्त संचार आर्यवीरों में हो रहा है।

☞ सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चों का सत्संग अलग से आयोजित करना भी एक अच्छी शुरूआत होगी। इसका संयोजन कोई भी बड़ा बच्चा कर सकता है।

☞ प्रत्येक बालक को माईक पर बुलाकर मन्त्रोंच्चारण, भजन अथवा संक्षिप्त भाषण के लिए प्रेरित करना चाहिए।

2. औपचारिक शिक्षा :

आर्यवीर दल की शाखाओं में आने वाले युवा और किशोर कहीं न कहीं विद्यालयों, कॉलेजों में औपचारिक शिक्षा अवश्य ग्रहण कर रहे होते हैं। इस औपचारिक शिक्षा में कई प्रकार से उनकी सहायता की जा सकती है। यथा -

☞ बड़ी कक्षाओं के आर्यवीर अपने से छोटी कक्षाओं के आर्यवीरों की शिक्षा में सहायता करें। इस कार्य का निरीक्षण आर्यसमाज का कोई भी शिक्षित सदस्य करें जिसकी शिक्षा में रुचि हो।

☞ यदि सम्भव हो तो प्रतिदिन एक घण्टे के लिए एक विद्वान शिक्षक की विधिवत् नियुक्ति की जा सकती है उसे मासिक रूप से प्रदान किए जाने वाला धन किसी भी दानदाता से प्राप्त किया जा सकता है। आर्यवीरों के लिए यदि किसी विशेषज्ञ शिक्षक को अधिक धन

देकर भी नियुक्त करना पड़े तो उस राशि को बांटकर आर्यवीरों से भी इकट्ठा किया जा सकता है जैसे आजकल टयूशन पढ़ने-पढ़ाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं।

☞ गरीब परिवारों से सम्बन्धित बच्चों को भी बुला-बुलाकर उन्हें इन कार्यक्रमों का लाभ दें। सामान्य जनता भी आपके इस कार्य में सहयोग करेगी यदि आप दान की राशि से इन्हें मुफ्त विभिन्न प्रकार भी शिक्षण सामग्रियां भी प्रदान करें जैसे पुस्तकें, कापियां, पेन, पेन्सिल, विद्यालय के वस्त्र, जूते, जुराब इत्यादि। ऐसी महान् सहायता को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक बालक आजीवन आर्यसमाज का ऋणी अवश्य ही रहेगा।

☞ दसवीं या बारहवीं कक्षा के बाद बच्चा किन विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले इस बारे में भी बच्चो को पढ़े-लिखे विद्वान पदाधिकारी मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस कार्य के लिए विशेष विचार-विमर्श शिविर भी लगाए जा सकते हैं।

☞ आर्यसमाज के सत्संग भवनों में बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने की सुविधा भी पुस्तकालय की तरह दी जा सकती है।

☞ युवाओं और किशोरों के लिए सामान्य ज्ञान गोष्ठियां तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाएं।

3. रोजगार :

☞ युवाओं और किशोरों के साथ आज सबसे बड़ी समस्या है कि उनके मन की बातों को समझने, सुनने और सहलाने के लिए सम्भवतः उनके मां-बाप के पास भी समय नहीं। रही सही कसर टी0वी0 ने निकाल दी है।

आर्यसमाज के प्रत्येक कार्य का केन्द्रीय लक्ष्य एक सुस्कारित और समाजसेवी बुद्धि का विकास करना है। यही हमारी सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है।

अतः आज ही संकल्प लें कि बच्चों को प्रेम पूर्वक हम राष्ट्र की मूल संस्कृति के साथ जोड़कर उनके व्यक्तिगत जीवन को उन्नत बनाने में एक सच्चे सहायक और मार्ग-दर्शक बनने का प्रयास करेगें।

पर्याप्त शिक्षा होने के उपरान्त प्रत्येक युवक को रोजगार चुनने में आर्यसमाज के सदस्य एवं पदाधिकारी परामर्श द्वारा या वास्तव में अपने उच्च सम्पर्क सूत्रों में सिफारिशें करके सहायक हो सकते हैं।

☞ जिला अथवा प्रान्तीय स्तरों पर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जहां भी आर्यजनों की जान-पहचान हो वहां नियुक्तियों के लिए अपने सम्पर्क वाले आर्यवीरों के नामों की संस्तुति की जाए।

4. समाज सेवा :

☞ समाज सेवा के उन सभी छोटे-बड़े कार्यों में युवाओं/किशोरों की सहायता ली जा सकती है, जिनका संचालन आर्यसमाजें कर रही है।

☞ यहां तक कि बहुत से ऐसे कार्य भी है जिन्हें बड़े आर्यजन नहीं कर पाते उन्हें भी युवा/किशोर वर्ग के आर्य वीरों की सहायता से सम्पन्न किया जा सकता है जैसे :-

❖ गरीब बस्तियों में सेवा-सहायता का वितरण।

❖ ट्रैफिक संचालन में पुलिस की सहायता।

❖ कभी-कभी कुछ विशेष अवसरों पर गली मोहल्लों में प्रेरणात्मक वाक्य पोस्टर रूप में लिखकर पदयात्रा, घर-घर पर्चो के वितरण आदि का कार्य। ध्यान रहे, इन कार्यों को करते समय इन बच्चों को आर्यवीरो का गणवेश (यूनीफार्म) पहनने के लिए प्रेरित करे, उसकी व्यवस्था करें।

इन कार्यों का सामान्य जनता पर विशेष प्रभाव पड़ता है तथा आर्यसमाज की क्षत्रिय शक्ति का भी आभास सामान्य समाज को होता रहता है।

7

मातृ शक्ति

'माता निर्माता भवति' एक प्रचलित कथन है जिसके वैदिक दृष्टिकोण से हम सब पूर्णतः परिचित है। जब परिवार की प्रमुख शक्ति हम नारी को स्वीकार करते हैं और परिवार को हमने आर्यसमाज के संगठनात्मक ढांचे की मूल ईकाई माना है तो हमें यह समझने में भी भूल नहीं करनी चाहिए कि आर्यसमाज को संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने में भी नारी का मुख्य योगदान है।

यदि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ महिलाओं को वैदिक दृष्टिकोण से अवगत कराकर आर्यसमाज के संगठन के रूप में प्रेरित किया जाए तो परिवारों में वैदिक क्रान्ति लाने का कार्य अधिक गति और उत्साह से होता है।

पुरुष तो आर्यसमाज के अन्य कार्यों का सम्पादन करें ही परन्तु महिलाओं को विशेष रूप से पारिवारिक क्रान्ति का प्रमुख सूत्रधार बनाना चाहिए।

☞ महिलाएं नियमित रूप से प्रति सप्ताह महिला सत्संग करें।

☞ महिलाओं की रुचि भजन संकीर्तन आदि में अधिक होती है। अतः समय-समय पर उनके सत्संगों में भजनोपदेश करें तथा सन्ध्या संगीत कलाकारों के कार्यक्रम निर्धारित कराने के प्रयास करें।

☞ महिलाओं को गृहस्थ संचालन से सम्बन्धित कई अलग-अलग विषयों पर गोष्ठीयां निर्धारित करने के लिए प्रेरित करें। जैसे संतानों का

विभिन्न मौसमों में पालन-पोषण, तरह के व्यंजन बनाने पर चर्चाएं, बच्चों की शिक्षा आदि से सम्बन्धित विचार-विमर्श, पति को कमाई की दृष्टि से रिश्वत खोरी जैसे बुरे कार्यों से अलग रहने की प्रेरणाएं आदि।

☞ कई सामाजिक बुराइयों के लिए महिलाएं विशेष कार्य कर सकती है जैसे - दहेज प्रथा के विरुद्ध और विवाहों और अन्य मांगलिक कार्यों को फिजूल खर्च से मुक्त कराने के अभियान।

☞ आर्यसमाज की महिलाएं अन्य परिवारों से सम्पर्क करके जहां आवश्यक हो मांसाहार, शराब, सिगरेट तथा चाय आदि के विरुद्ध प्रेरणा प्रदान करें। अपने परिवारों को तो इन दुष्ट प्रवृत्तियों से मुक्त अवश्य रखें।

☞ क्षेत्र की अन्य महिलाओं तथा विशेष रूप से किशोर युवतियों के लिए कई प्रकार की कलाओं को सिखाने की व्यवस्थाएं भी की जा सकती है जैसे - सिलाई, कढ़ाई, पकवान, स्वेटर, बुनाई आदि।

☞ क्षेत्र की पढ़ने वाली बच्चियों के लिए सामूहिक टयूशन आदि की व्यवस्था करके भी उन्हें आर्यसमाज के साथ जोड़ा जा सकता है।

☞ यदा-कदा महिलाओं को स्व-सुरक्षा के भी सरल तरीकों से अवगत कराते रहना चाहिए। इस कार्य के लिए यदि व्यवस्था बनाएगें तो आर्य वीरांगना दल की शाखाओं का प्रबन्ध करने का भी प्रयास किया जा सकता है।

☞ धन संग्रह अथवा अन्य सेवा प्रकल्पों में महिलाओं की सहायता शीघ्र सफलता प्रदान करती है।

☞ महिला उत्पीडन की किसी भी घटना में सदैव आर्यसमाज की महिलाओं को अग्रणी रहना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर सहायता या हमदर्दी तुरन्त व्यक्त करनी चाहिए। समाचारों में भी अपनी प्रतिक्रिया भेजें।

उपरोक्त के अतिरिक्त देशकाल और परिस्थिथियों के अनुसार महिलाओं के संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए।

8

आर्यसमाज में विवाह के नियम

कई बार कुछ आर्यसमाजों में सम्पन्न हुए विवाह-संस्कार समाज में आर्यसमाज को निन्दा का पात्र बना देते हैं। आर्यसमाजों गें विवाह करवाना कोई ऐसा सामाजिक अभियान नहीं था जिसके तहत कोई भी विवाह जो वर अथवा कन्या अथवा दोनों ओर से स्वीकार्य न हो उसे आर्यसमाज में सम्पन्न करवा दिया जाए।

आर्यसमाजों में विवाह के दो प्रमुख लक्ष्य थे।

1. परिवारों में वैदिक परम्पराओं की स्थापना और संस्कार की वैदिक प्रक्रिया के द्वारा विवाह के मूल उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित करवाना था। इस दृष्टि से अन्यत्र होने वाले विवाह-संस्कार केवल प्रक्रिया मात्र थे, जबकि आर्यसमाज में विवाह उपदेशात्मक और प्रेरणात्मक संस्कार की तरह करवाए जाने लगे। अतः समस्त आर्यों से अपेक्षित था कि आर्य परिवारों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी समस्त संस्कार सार्वजनिक रूप से आर्यसमाजों में अथवा अन्यत्र केवल वैदिक पद्धति से ही करवाने के लिए प्रेरित किया जाए।

इसमें विवाहों पर अनावश्यक खर्च की पद्धति को समाप्त करके सरलीकरण का उद्देश्य भी शामिल था।

2. आर्यसमाजों में विवाह जातिवाद को समाप्त करने की दृष्टि से भी आयोजित किए जाने लगे। एक परिवार की स्वीकृति न होने पर भी जातिवादी भावना का विरोध करने के लिए आर्यसमाजों में विवाहों को सामाजिक समर्थन मिला।

उपरोक्त उद्देश्यों के विपरीत कुछ आर्यसमाजें केवल धनोपार्जन की दृष्टि से हर प्रकार के विवाहों को सम्पन्न करवाकर कभी-कभी सामाजिक रूप से आर्यसमाज को असमंजस की स्थिति में लाकर खड़ा कर देती हैं।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग बैठक दिनांक 10-10-93 में पारित प्रस्ताव के अनुसार आर्यसमाजों में विवाह आयोजित करते समय इन नियमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा करवाए गए विवाह को अवैध और गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आर्यसमाज के सम्बन्धित पदाधिकारी कानूनी कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

यह नियम इस प्रकार है :-

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग बैठक दिनांक 28 फरवरी 1993 में आर्य समाजों में कराए जा रहे विवाहों का विषय प्रस्तुत हुआ था। इस विषय पर कई सदस्यों ने अपनी-अपनी राय प्रकट की और यह निर्णय हुआ कि समस्त आर्यसमाजों में विवाह संस्कारों के लिए एक जैसे नियम लागू किए जाने चाहिए। कई आर्य समाजों में वैदिक सिद्धान्तों के विरुद्ध बेमेल विवाह कराए जाने के कई प्रकरणों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। जैसे 50 वर्ष के व्यक्ति का विवाह 22 वर्ष की कन्या से कराया जाना।

अन्तरंग सदस्यों के विचार से इन नियमों का निर्धारण करने के लिए 5 सदस्यीय उपसमिति गठित की गई जिससे मेरे अतिरिक्त सर्वश्री महावीर सिंह, सोमनाथ मरवाह, जयनारायण अरुण तथा सूर्यदेव जी सदस्य थे। इन सदस्यों से विचारोपरान्त आर्यसमाजों द्वारा वैदिक विवाह हेतु आवश्यक नियमों का एक प्रारूप तैयार किया है, जिसमें अन्तरंग बैठक में प्राप्त सुझावों को शामिल करके अन्तिम रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया : -

नियम :

1. वर-कन्या दोनों के पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र जिन पर एक दूसरे की स्वीकृति के हस्ताक्षर होंगे।
2. दोनों प्रार्थना-पत्रों पर दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों, आर्यसमाज के सभासदों द्वारा संस्तुति।
3. आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की सनद) आयु सीमा कन्या 18 वर्ष, वर 21 वर्ष अशिक्षित होने की स्थिति में सी0एम0ओ0 (मुख्य चिकित्सा अधिकारी का आयु प्रमाण पत्र)
4. शपथ पत्र (बयान-ए-हल्फी) जिसमें नाम, वल्दियत, पता, आयु, शिक्षा, वर्तमान विवरण, (विवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा, तलाकशुदा आदि) मानसिक स्थिति स्वस्थ, परस्पर रिश्ता (यदि कोई है) लिपिद्ध नातेदारी, सगोत्र न होने की आख्या, विरुद्ध कोई पुलिस रिपोर्ट या कोर्ट केस न होने की आत्म स्वीकृति, लालच, दबाव, धमकी आदि न होकर स्वेच्छा से विवाह की स्वीकारी तथा बेमेल विवाह न होने का प्रमाण हो।
5. विधर्मी की स्थिति में शुद्धि प्रमाण पत्र तथा नए नामों की घोषणा।
6. वर एवं कन्या के दो-दो फोटोग्राफ (एक-एक प्रार्थना पत्र पर तथा एक-एक समाज के रिकार्ड के लिए)।
7. तीन गवाहों के हस्ताक्षर (विवाह के साक्षी के रूप में मित्र या सम्बन्धी) ।
8. नोटिस बोर्ड पर सूचना।
9. माता पिता को 6 दिन का समय देकर सूचना तथा सहमति के लिए पत्र आर्य समाज द्वारा लिखा जाए।
10. माता-पिता की असहमति होने पर उसके कारणों पर वैदिक सिद्धान्तानुकूल निर्णय आर्यसमाज के प्रधान, मन्त्री अथवा विशेष नियुक्त विद्वान द्वारा लिया जाए।

यदि असहमति जन्म-गत जातिवाद के कारण या अमीरी गरीबी के कारण हो, परन्तु वर और कन्या की योग्यता लगभग समान हो तो उसकी परवाह किए बिना विवाह कराया जा सकता है।

यदि असहमति बेमेल विवाह जैसे आयु का अन्तर बहुत अधिक होना या किसी प्रकार का चरित्र दोष आदि के कारण हो तो ऐसे विवाहों को नहीं कराया जाए।

11. समाज के पत्राचार-एजेण्डा, कार्यवाही पंजिका तथा प्रमाण पत्र जिस पर प्रधान, मन्त्री तथा पुरोहित के हस्ताक्षर तथा वर-कन्या के हस्ताक्षर विधिवत् रजिस्टर के रूप में सुरक्षित रखे जाएं।

- विमल वधावन एडवोकेट, संयोजक

आर्य विवाह एक्ट

इसके अतिरिक्त आर्य विवाह अधिनियम 1937 का अवलोकन भी समस्त आर्य सभासदों को अवश्य करना चाहिए। इस विषय पर सार्वदेशिक सभा द्वारा श्री घनश्यामदास गुप्त लिखित एक पुस्तिका भी अच्छी मार्गदर्शक है इस विषय पर केवल एक विशेष ध्यान रखें कि आर्यसमाज में सम्पन्न करवाए गए विवाह हमें किसी प्रकार से भी सामाजिक निन्दा और आध्यात्मिक पाप का पात्र न बना दें, बल्कि जात-पांत तोड़कर विवाह करवाकर हम गर्व से समाज के सामने खड़े होकर कह सकें कि इस विवाह को करवाकर आर्यसमाज ने सामाजिक एकता का प्रयास किया है।

9

शिक्षण संस्थाएं और वैदिक धर्म प्रचार

वैदिक धर्म प्रचार के लिए शिक्षण संस्थाओं को एक प्रमुख आधार माना गया है सम्भवतः भारत का कोई विरला ही जिला होगा जहां आर्यसमाज की कोई शिक्षण संस्था न हो। विद्यालय अथवा गुरुकुल दोनों ही मानव निर्माण की प्रमुख कार्यशालाएं हैं आर्यसमाज के विद्वान् पदाधिकारी, प्रचारक और संन्यासी इन कारखानों के वैज्ञानिक हैं।

☞ वैज्ञानिक का सम्बन्ध केवल मात्र अपने कार्य और लक्ष्य की सफलता से ही होता है। मान-सम्मान पद और पैसे के चक्कर में फंसने वाला व्यक्ति या आलस्य में फंसा हुआ शरीर एक सच्चा आर्य नहीं हो सकता।

☞ बच्चों का हृदय और मस्तिष्क एक सफेद कागज की तरह माना जाता है जिस पर इस आयु में लिखे गए वैदिक सिद्धान्त पूरा जन्म प्रभावी रहते है।

अतः आर्यजन शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में कार्य करते हुए निम्न बिन्धुओं को अवश्य स्मरण रखे।

❖ शिक्षण संस्थाओं में वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था नियमित रूप से चलती रहे। साप्ताहिक रूप में तो बेशक प्रत्येक कक्षा के लिए एक घण्टे का समय निर्धारित हो परन्तु प्रतिदिन विद्यालय प्रारम्भ होने की प्रार्थना होने के समय भी कुछ न कुछ संस्कार प्रभाव अवश्य चलता रहे।

- ❖ साप्ताहिक धर्म शिक्षा की कक्षा के दौरान बाकायदा बच्चों को वैदिक सिद्धान्तों के विशेष बिन्दु नोट करवाएं जाएं और प्रतिदिन प्रार्थना सभा में बारी-बारी से बच्चों से ही उनका उच्चारण कराया जाए।
- ❖ सन्ध्या यज्ञ का अभ्यास प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से करवाया जाए।
- ❖ बच्चों के माता-पिता के साथ अलग-अलग कक्षाओं के अध्यापक-अध्यापिकाएं प्रतिमाह एक दिन विचार-विमर्श आदि के लिए निर्धारित करें। उन्हें भी बच्चों का पालन पोषण वैदिक संस्कारों के अनुरूप ही करने के लिए प्रेरित करें।
- ❖ जहां तक हो सके प्रत्येक शिक्षण संस्था में आर्य परिवारों के सदस्यों को ही अध्यापक अध्यापकिाएं नियुक्त करें। यदि ऐसा सम्भव न हो तो जो भी अध्यापक-अध्यापिका विद्यालय में नियुक्त हो उन्हें नियमित रूप से वैदिक सिद्धान्तों में प्रशिक्षित करते रहे। बच्चों को वैदिक परम्परा से युक्त करना प्रत्येक आर्य शिक्षण संस्था के अध्यापक अध्यापिका का प्रमुख कर्त्तव्य होना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही में चूक न करें।
- ❖ इन संस्थाओं का प्रबन्धक उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो मानव निर्माण कार्य में रुचि भी रखते हो और दक्ष भी हो।
- ❖ आर्य शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त आपके क्षेत्र में जितनी भी अन्य सरकारी वा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हो उनके अन्दर भी प्रचार-प्रसार की छोटी-छोटी योजनाएं विशेष लाभकारी सिद्ध हुई है। एक आर्य महानुभाव ने अपने जीवन का यह लक्ष्य बना रखा है कि वे प्रतिदिन किसी भी एक विद्यालय में एक घण्टे का कार्यक्रम प्रेरणा प्रवचन आदि के लिए देते है। इस कार्य में शरीर और बुद्धि के अतिरिक्त कोई भी लागत नहीं है। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से सम्पर्क करकें उन्हें उस कार्य हेतु समय निर्धारित करने के लिए प्रार्थना करें। इस कार्य को बड़े सरल रूप में चरित्र

निर्माण कार्य के नाम से प्रारम्भ किया जाए। क्योंकि हमें हर प्रकार के मतपंथ आदि से सम्बन्धित बच्चों तक पहुंचना है।

❖ विद्यालयों और गुरुकुलों के बच्चों को प्रतिमाह क्षेत्र में दो-दो बच्चों की पक्तियां बनाकर पदयात्राओं का सिलसिला प्रारम्भ करें। बच्चों के हाथ में विभिन्न समाज सुधार वाक्य, वैदिक सिद्धान्तों, चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति या अन्य किसी सामयिक विषयों पर लिखे बोर्ड-तख्तियां आदि पकडाएं जाए। ऐसी पदयात्राओं का चित्र समाचार सहित दैनिक समाचार पत्रों को भेजें।

❖ शिक्षण संस्था में पढ़ने वाले शिक्षर्थियों को अपने-अपने परिवारों में अच्छे आचरण का विशेष आग्रह करें, नियमित प्रेरणा एवं पूछताछ करते रहे। इसका प्रभाव माता-पिता पर भी गहरा पड़ता है। जैसे सबको नमस्ते/चरण स्पर्श करने के संस्कार प्रदान करना। माता-पिता का विश्वास जीतने के बाद शाकाहार तथा अन्य खान-पान शुचिता की प्रेरणा भी दी जा सकती है। धीरे-धीरे परिवारों में सभी वैदिक सिद्धान्त स्थापित हो जाते हैं।

10

राजनीति या जनसेवा आन्दोलन

आर्यसमाज राजनीति में सीधा भाग ले या न ले इस विषय पर अक्सर चर्चा चलती रहती है। लेकिन आज तक भी किसी सर्वोच्च पदाधिकारी की यह हिम्मत नहीं हुई कि आर्यसमाज को राजनीतिक अखाड़े में एक पहलवान की तरह खड़ा कर दिया जाए। सार्वदेशिक सभा में कई पूर्व प्रधानों ने इस विचार विमर्श में भाग भी लिया कुछ उल्लेखनीय नामों में महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी आनन्द बोध सरस्वती तथा वन्देमातरम् रामचन्द्र राव आदि शामिल है। इनके अतिरिक्त भाई परमानन्द तथा वीर सावरकर जी का राजनीतिक चिन्तन भी विचारार्थ हमारे सामने है।

महात्मा नारायण स्वामी का स्पष्ट विचार था कि आर्यसमाज का मुख्य काम वैदिक धर्म की रक्षा करना है। राजनीति का एक अंग बनकर यह स्वाभाविक है कि हमारे प्रतिद्वन्दियों की संख्या बढ़ जाएगी। हम क्योंकि वैदिक धर्म का प्रचार भी साथ-साथ करेंगे तो परिणाम यह मिलेगा कि समाज में हमारे राजनीतिक प्रतिद्वन्दी हमारी वैदिक विचारधारा से भी दूर भागना शुरू करेगें। वैदिक विचारधारा केवल हमारे राजनीतिक समर्थकों तक ही सीमित रह जाएगी। इसके विपरीत राजनीति से पृथक रहकर हमारी विचार शक्ति का कार्यक्षेत्र विस्तृत रहता है। हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या दल के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भी अपने राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए जन सेवा कार्यक्रमों जैसे दलितोद्धार, शुद्धि आन्दोलन,

अनाथालय, और गुरुकुल की स्थापना को माध्यम बनाया। यहां तक कि उनकी वकालत भी इसी जनसेवा और राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में लगकर उन्हें प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना पायी।

स्वामी आनन्द बोध सरस्वती तथा वन्देमातरम रामचन्द्र राव बेशक व्यक्तिगत रूप से राजनीति में भाग लेते रहे परन्तु सार्वदेशिक सभा के नाम से या सम्बद्ध संगठन के रूप में किसी राजनैतिक दल की स्थापना को उन्होंने भी उचित नहीं समझा।

आर्यसमाज एक स्वतन्त्र राजनीतिक दल बनाए, उसके लिए केवल दो मूल प्रश्नों का समुचित उत्तर अत्यन्त आवश्यक है।

☞ राजनीतिक समर क्षेत्र अर्थात चुनाव में व्यय होने वाले करोड़ों अरबों रुपयें की व्यवस्था कहां से होगी। यह व्यवस्था एक बार नहीं साल दर साल नियमित होती रहे यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा ?

यह प्रश्न स्पष्ट है कि - मान लीजिए, एक बार बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों से गम्भीर प्रयास करके कुछ करोड़ रुपये इक्ट्ठे कर भी लिए और चुनाव के द्वारा कुछ सांसद या विधायक बन भी गए तो क्या उन्हें खुली छूट होगी कि वह राजनीतिक दलों की तरह अगले चुनाव की व्यवस्था के लिए किसी भी भ्रष्ट तरीके से धन संग्रह शुरू कर दे ?

☞ दूसरा प्रश्न यह है कि आर्यसमाज स्वय बहुमत में आने से पूर्व किस राजनीतिक दल का सहयोगी साथी बनकर कार्य करना निर्धारित करें ?

जब तक इन दो प्रश्नों का समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आइए, राजनीति के ही दूसरे पक्ष पर चिन्तन करें जिसे जनसेवा के नाम से सम्बोधित किया जा सकता है। जनसेवा एक ऐसा पवित्र कार्य है जिसके द्वारा समाज में कई गुना व्यक्तियों को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।

एक आर्यसमाजी अनाथालय खोलकर यदि 200-300 बच्चों का पालन-पोषण करता है तो उसके उस कार्य को देखने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं ? उन देखने वालों में से ही हजारों व्यक्ति उस कार्य में सहयोग करने के लिए आगे आ जाते हैं। अनुभव यह बताता है कि सूर्य की किरणों की तरह एक जन सेवा का प्रभाव सैकड़ों हजारों गुना बढ़कर समाज में उस व्यक्ति की मान और प्रतिष्ठा का कारण बनता है।

हमारे आर्यसमाज मन्दिरों और कई आर्यसमाजियों ने अपने कार्यो के बल पर अपने कस्बे या जिले में नहीं अपितु पूरे प्रान्त में अपनी एक विशाल छवि बनाई है जो किसी साधारण विधायक या सांसद से अधिक है। ऐसे असंख्य नाम नक्षत्रों की भांति आर्यसमाज की आभा में चमक रहे है। उदाहरण के लिए श्री सत्यनारायण लाहोटी, सुजानगढ़ का नाम उल्लेखनीय है - इन आर्य महानुभाव ने विगत एक वर्ष में सुजानगढ़ जिले में 32 लाख रुपये की राशि पेंशन रूप में विधवाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों को शुरू करवाई है। यह राशि प्रतिवर्ष जारी रहेगी। इसी प्रकार लाडनू जिले में 31 लाख की राशि इस कार्य में सरकार से प्रदान कराई गई। वर्ष 2004 में तो यह राशि दो करोड़ से भी ऊपर हो गई है। क्या यह कार्य किसी सांसद या विधायक से कम है। इसी प्रकार के कार्य प्रत्येक जिले में किए जा सकते है।

इस प्रकार जन सेवा के कार्य हमारे जीवन में हमें ही नहीं अपितु परिणाम स्वरूप आर्यसमाज संगठन को एक राजनीतिक ताकत से अलग एक पवित्र और प्रेरणादायी ताकत के रूप में स्थापित करते है।

जनसेवा कार्यो के आधार पर आर्यसमाज को या सम्बन्धित व्यक्ति की जो विशाल छवि बनती है उसका पूरा सदुपयोग वैदिक सिद्धान्तों और आर्यसमाज की मान्यताओं के अनुरूप राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष यह है कि आर्यसमाज जनसेवा और जनआन्दोलनों के माध्यम से सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय समस्याओं पर अपनी आवाज बुलन्द करें तो अधिक लाभदायक होगा।

जन-सेवा के कार्यों का दैनिक समाचार पत्रों में बढ़-चढ़ कर उल्लेख निरन्तर होते रहना चाहिए।

गरीबों की सेवा तथा असहाय व्यक्तियों को सहारा देना आर्यसमाज का परम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे कार्यो से न केवल धर्म प्रचार होता है बल्कि धन संग्रण के कार्यों में भी सुगमता हो जाती है।

गरीबों में शिक्षा का प्रचार आर्यसमाज सरलता के साथ कर सकता है, क्योंकि यह हमारा चलता हुआ कार्य भी है। शिक्षा में औपचारिक तथा अनौपचारिक हर प्रकार की शिक्षा सम्मिलित हो जाती है। गरीबी दूर करने के लिए बहुत बड़े धन या साधनों की पूर्ति न भी हो पाये तो भी केवल साहनुभूति और हमदर्दी के साथ गरीब लोगों को सम्पर्क प्रदान करना भी उनमें गरीबी से लड़ने का बल पैदा कर देगा।

जहां तक राजनीति में भाग लेने की बात है वहां कुछ तथ्यों को स्मरण रखना भी आवश्यक है। भाई परमानन्द जी का जीवन और उनके कार्य एक-एक व्यक्ति को प्रभावित करते थे। परन्तु चुनाव लीला के दाव-पेंचों से वे भी सफल नहीं हो सके। स्वामी आनन्द बोध जी एक बार सांसद अवश्य बने परन्तु भ्रष्टाचार न कर पाने के कारण वे अगला चुनाव हर गए। वीर सावरकर जी ने अपने जीवन काल में कई बार आर0एस0एस0 के लोगों को एक गम्भीर राष्ट्रवादी राजनैतिक दल के रूप में लाम्बद होने के लिए प्रेरित किया। संघ वालों ने सावरकर जी को कभी महत्व नहीं दिया। केवल अपने लोगों की राजनीतिक पार्टी अवश्य बनाई मगर संघ का राजनीतिक दृष्टिकोण भ्रष्टाचार से मुक्ति और राष्ट्रवाद के लिए कितना कार्य कर पाया यह सब आपके सामने है।

राजनीतिक दल के नाम पर विशाल मात्रा में धन विदेशों से आता है यहां तक कि बहुत सी विदेशी सरकारे विशेष रूप से अमरीका भारत में राजनीतिक दलों को अपने हित साधने के लिए धन उपलब्ध कराती हैं परन्तु धन उपलब्ध कराने के बाद वे भारत में विघटन कार्यों और नीतियों को लागू करने के लिए षड़यन्त्र भी करते है। क्या आर्यसमाज इस प्रकार की विदेशी सहायता और दबाव के बल पर कार्य कर पायेगा।

राजनीति को प्रेरित करने का एक मार्ग यह भी है कि चुनावों से पूर्व आप अपने क्षेत्र के सभी अम्मीदवारों को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हों, आमन्त्रित करके आर्यसमाज के राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए आमन्त्रित करे। विषयों के चयन में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तथा प्रान्तीय सभाओं से पूर्व सम्मति अवश्य प्राप्त करें। यह ध्यान रखें कि आर्य समाज के नाम से किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करना चाहिए। जिससे आर्यसमाज का स्वतन्त्र और निष्पक्ष स्वरूप बना रहे।

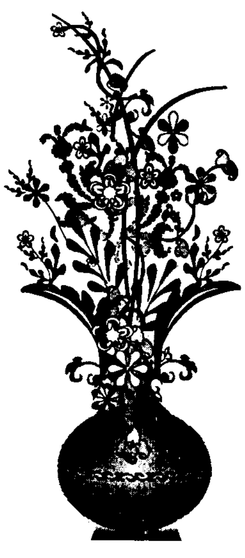

11

वैदिक सिद्धान्त

आर्यसमाजों के पदाधिकारियों को वैदिक सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। आर्यसमाज एक सैद्धान्तिक संगठन है। यह सिद्धान्त महर्षि दयानन्द द्वारा बताए जरूर गए हैं परन्तु बनाए नहीं गए। यह सिद्धान्त पूर्णरूपेण वेद ज्ञान पर आधारित है। सिद्धान्तों से ही सांस्कृति का निर्माण होता है यदि हम सिद्धान्तों के पालन में लापरवाही करते है तो उसके परिणाम स्वरूप सांस्कृति का नुकसान होता है।

इन सिद्धान्तों को हम वेद संस्कृति का नाम देते है। इनका पालन अत्यन्त आवश्यक हो परन्तु पालन करवाते समय श्रद्धा का तत्व कम नहीं होना चाहिए। अपने परिजनों को, आर्यसमाज के सदस्यों तथा सामान्य नागरिकों को प्रेमपूर्वक इन सिद्धान्तों पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कड़वा खण्डन-मण्डन सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं होता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने भी पूर्ण विद्वता प्राप्त करने के बाद ही प्रेम पूर्वक सवैधानिक नीतियों और रीतियों का खण्डन किया। ऐसा करते समय अपनी वाणी के आध्यात्मिक स्वरूप को उन्होंने कभी लुप्त नहीं होने दिया।

अतः आप भी इन वैदिक सिद्धान्तों पर स्वयं चलने और अन्यों को चलाने के लिए सदैव कर्त्तव्यबद्ध रहें। पुनः स्मरण रखें इसके लिए कुछ आवश्यक शर्ते हैं।

☞ वैदिक सिद्धान्तों पर स्वयं को एवं अपने जीवन को सत्य की कसौटी पर परख लें।

☞ वैदिक सिद्धान्तों में अधिकाधिक ज्ञान और विद्वता प्राप्त करें।

☞ आप अपनी बात को इस प्रकार से कह दें कि बिना कड़वे शब्दों के प्रयोग किए सुनाने वाले को लगने लगे कि उसकी रीति निराधार है ?

☞ यदि खण्डन सीधे तौर पर करना भी पढ़े तो शब्दों की मिठास में कमी नहीं आनी चाहिए तथा अपना आध्यात्मिक स्वरूप भी लगातार प्रदर्शित होता रहें।

वैदिक सिद्धान्तों के कुछ विशिष्ठ बिन्दु इस प्रकार है -

प्र01 ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है ? उसे किस प्रकार से जाना जाता है ? ईश्वर को जानने के क्या लाभ हैं।

उ0 ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार सृष्टि का कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता हैं। वह अपने विशेष गुणों से जाना जाता है। आर्यसमाज के द्वितीय नियम के अनुरूप ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। ईश्वर के इन सब गुणों पर निरन्तर चिन्तन मनन करते रहने से ही उसका सत्य स्वरूप समझ में आ सकता है।

पूर्ण आनन्द एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु ईश्वर जानने योग्य है यह आत्मा का विषय है क्योंकि जहां परमात्मा है वहां आत्मा है जहां आत्मा है वहां परमात्मा। अतः उसे जानने के लिए स्वयं अपनी आत्मा को जानना आवश्यक है।

ईश्वर को जानने वाला आत्मा आध्यात्मिक, मानसिक रूप से बलशाली होकर मानवीय सुख-दुख के चक्रव्यूह में फंसा खड़ा नहीं रहता। दुखों का मुकाबला करने की शक्ति बढ़ती है। ऐसी आत्माएं ईश्वर में निरन्तर चिन्तनशील रहने से बुराईयों में नहीं फंसती तथा सदैव शुभकर्मो को करते हुए समाज के मार्गदर्शक बने रहते है। इसीलिए ऐसे मार्गदर्शको को

ईश्वर-पुत्र कहा जाता है, जैसे स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि समस्त पुण्य आत्माएं

प्र02 : क्या ईश्वर को अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए अवतार लेना पड़ता है ? यदि नहीं तो वह इन कार्यों का सम्पादन कैसे करता है।

उ0 : नहीं। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता अवतार का अर्थ है एक देशीय होना। ईश्वर तो सर्वदेशीय और सर्वविद्ययमान है। अवतार लेकर वह स्वयं को सीमा में क्यो बाधेगा। श्रीराम और श्रीकृष्ण आदि अवतार नहीं थे। हां यह सत्य है कि ईश्वर की कृपा से उनकी आत्माएं महान् बलशाली थी जिसके कारण वे विशाल जनहित कार्य सम्पन्न कर पाए। ईश्वर अपने विशेष गुण 'प्रेरक' के द्वारा जीवात्मा को धर्म व न्याय पर चलने की प्रेरणा देता है क्योंकि वह सर्वव्यापक होने के कारण प्रत्येक जीव में विद्यमान है। जब अन्तरात्मा से महसूस हो कि यह कार्य करो तो वह धर्म और जब अन्तरात्मा में किसी कार्य से पूर्व भय, लज्जा, शंका पैदा हो तो समझो वह अधर्म। यह प्रेरणाएं ईश्वर की तरफ से ही आती है।

प्र03 : क्या ईश्वर के रूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न मूर्तियों आदि का सहारा लेना आवश्यक है ?

उ0 : ईश्वर के रूप की व्याख्या हेतु किसी मूर्ति आदि के सहारे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वेदानुसार **न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः** अर्थात् ईश्वर निराकार हैं। उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, मूर्ति तो उसकी बनती हैं जो साकार हो या किन्ही वस्तुओं के संयोग से बना हो। ऐसे संयोग से बनी वस्तुएं नाशवान होती है। ईश्वर नाशवान नहीं है।

प्र04 : वेद किस प्रकार से ईश्वर की वाणी हैं, किस प्रकार अपौरुषेय है, वेद में इतिहास है या नहीं ?

उ0 : बीजांकुर न्याय के अनुसार जैसा बीज होगा वैसा ही उसका वृक्ष होगा। इसी आधार पर संसार एक वृक्ष है प्रकृति उसका बीज है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय सृष्टि का पूर्ण ज्ञान-विज्ञान वेदवाणी के रूप में ईश्वर ने

अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा ऋषियों को दिया। यह ज्ञान उन ऋषियों को किसी मनुष्य के मुख से सुनने को नहीं मिला बल्कि प्रेरणा रूप में यह ज्ञान उनकी अन्तरात्मा में आया। इसलिए इस प्रथम और पवित्र ज्ञान को मानवकृत नहीं माना जा सकता। वेद को सृष्टि निर्माण का इतिहास तो कह सकते हैं परन्तु मानवीय घटनाओं और सामाजिक उतार चढ़ाव का नहीं।

प्र05 : देवता क्या होते हैं ?

उ0 देवता वह है जो अपने श्रेष्ठ गुणों से जाना जाता है और अपनी शक्ति को निःस्वार्थ रूप से दूसरों को देता है। देवता दो प्रकार के होते हैं। चेतन व अचेतन।

क. **चेतन देवता :** चेतन देवताओं में सब देवों का देव परमेश्वर है जो सदैव देता ही देता है न किसी से कुछ लेता है न अपने पास कुछ रखता है। दूसरे चेतन देवता वह है जो अपने स्वत्व का दान करते हैं जैसे माता, पिता एवं आचार्य। स्वत्व का अर्थ है सब कुछ दान, सारा समय, सारे साधन परोपकार में लगाना।

ख. **अचेतन (जड़) देवता :** यह वह देवता है जो कभी चेतन रूप धारण नहीं करते। इनमें ज्ञान व इच्छा शक्ति नहीं है परन्तु इनके गुण जीवात्माओं के काम आते हैं। वह अपने या अन्य के गुणों का भोग नहीं कर सकते। यह 33 जड़ देवता हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, एक इन्द्र, 1 प्रजापति आदि। इनमें 11 पृथ्वी पर, 11 अन्तरिक्ष व 11 द्यूलौक में हैं।

प्र06 : सृष्टि की रचना का वैदिक और पूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप क्या है ? ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की थी ?

उ0 : सृष्टि और प्रलय अनादि काल से होते चले आ रहे हैं वायुमण्डल में विद्यमान मूल कारण परमाणुओं से सृष्टि की रचना होती है। परमाणु सृष्टि का उपादान कारण है और परमेश्वर निमित्त कारण है। जड़ वस्तु से अन्य जड़ वस्तुएं ईश्वर की चेतन शक्ति के द्वारा ही बननी सम्भव हैं। मूल कारण से सृष्टि का बनना तथा समय आने पर उसी में लीन होना सदा से चला आ रहा हैं। जीवों के पूर्व कर्मों के अनुसार भोग के लिए तथा कर्मो

के अनुसार ही उसके उत्थान हेतु ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी।

प्र07 : ईश्वर, जीव और प्रकृति के अलग-अलग गुण, कर्म स्वभाव और स्वरूप क्या है।

उ0 क. ईश्वर : ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सृष्टिकर्ता, धर्ता, संहर्ता, प्रेरक एवं जीवात्मा के कर्मो का फल देने वाला एक चेतन, सत्य और आनन्द स्वरूप तत्व है। इसके तीन मुख्य लक्षण है - सत्, चित, आनन्द।

ख. जीवात्मा : जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, एकदेशीय कार्यकर्ता और फलभोक्ता सत्य, चेतन, ईश्वर के आनन्द के प्राप्त करने की इच्छा वाला अनेक रूपों में विद्यमान तत्व है। उनकी संख्या का ज्ञान केवल ईश्वर को है। इसके मुख्य लक्ष्मण है - सत्, चित।

ग. प्रकृति : प्रकृति जड़, सत्व, रज व तमगुण वाली भोग्या तत्व हैं। इसका मुख्य लक्षण है - सत्।

प्र08 : मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार है ?

उ0 : मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य को कर्म करने की स्वतन्त्रता है जिसके लिए ईश्वर ने बुद्धि एवं उसके विकास का मार्ग ज्ञान रूप में दिया है। जिससे वह पूर्ण आनन्द एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।

प्र09 : कर्म किसे कहते है ? यह कितने प्रकार के होते हैं ?

उ0 : सामान्यतः जीव के द्वारा किया प्रत्येक कार्य कर्म कहलाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं एक स्वाभाविक जैसे उठना, बैठना, सोना जागना, खाना, पीना, बच्चे पैदा करना उनको पालना, आदि। ये कर्म मनुष्य, पशु और पक्षियों में समान होते हैं। दूसरे विशेष कर्म होते हैं जिन्हें हम अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म कह सकते हैं। इसकी पहचान वेदादि शास्त्रों से तथा अन्तः करण से होती है। जो कर्म मन, बुद्धि और आत्मा को पवित्र करें वे पुण्य के कर्म है। जो इन तीनों को अपवित्र करें वे पाप के कर्म हैं।

जब कर्म करते समय मन में भय, लज्जा, और अशान्ति रहे तब समझ लो कि यह बुरा कर्म है। जब कर्म करते हुए निर्भयता, उत्साह और शान्ति मिले। और जिसे सबके सामने किया जाए वह अच्छा कर्म है। पाप के कर्म न जल से धुलते हैं न क्षमा होते हैं। इनका फल भोगने के बाद ही इनसे छुटकारा मिलता है। जीवात्मा कर्म करता है और फल परमात्मा देता है। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुःख है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। (क) क्रियमाण (जो आगे किए जाएगें) (ख) संचित (इस जन्म के) व (ज) प्रारब्द्ध (पूर्व जन्म के)

प्र010 : कर्मफल का विधान क्या है ?

उ0 कर्मफल ईश्वरीय व्यवस्था है। कर्म मनुष्य करता है और फल परमेश्वर देता है। स्वयं कर्म करने में तथा स्वयं फल प्राप्त करने में व्यवस्था नहीं रहेगी। मनुष्य कर्म बुरा करेगा और फल अच्छा लेना चाहेगा।

प्र011 : सुख-दुख को महसूस करने के क्या कारण है ?

उ0 : सुख व दुख का सम्बन्ध जीव के शरीर से हैं आत्मा से नहीं। जीव के द्वारा किए गए शुभ-अशुभ कर्मो का फल सुख व दुख के रूप में भोगना पड़ता है। जो मनुष्य आत्मा से अधिक शरीर को महत्व देकर, शरीर की सुख-सुविधाओं के प्रति अधिक चिन्तित होते है उन्हें जब वे सुख-सुविध ाएं प्राप्त होने में कठिनाई होती है तो वे दुख को महसूस करते है और सुख-सुविधाएं मिलती रहे तो वे सुख महसूस करते हैं।

प्र012 : पुर्नजन्म का वैज्ञानिक आधार क्या है ?

उ0 : जीव की मृत्यु के समय जीव के भौतिक शरीर व सूक्ष्म शरीर (चेतना सत्ता) का वियोग होता है। जीव द्वारा जीवन पर्यन्त किए गए कर्म संस्कार रूप में सूक्ष्म शरीर में जमा होते रहते हैं और मृत्युपरान्त यह जमा हुए संस्कार सूक्ष्म शरीर के साथ ही प्रस्थान करते हैं और उन्हीं के आधार पर पुर्नजन्म होता है वही संस्कार पुर्नजन्म में हर्ष, भय, शोक आदि का कारण बनते हैं जो पुर्नजन्म का आभास कराते हैं। जन्म के उपरान्त तुरन्त दूध पीना एक स्वाभाविक संस्कार है जों अनेकों पूर्व जन्मों में विभिन्न

स्तनो का पान करने के परिणाम स्वरूप है।

प्र013 : मुक्ति मोक्ष की अवधारणा क्या है ?

उ0 : प्रत्येक जीव सदैव सुख व आनन्द की प्राप्ति चाहता है और दुखों से सदैव के लिए छूटना चाहता है। सुख व पूर्ण आनन्द तो ईश्वर के पास है वही मोक्ष धाम है इसलिए प्रत्येक जीव मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता हैं मोक्ष की अवधि 31 नील 10 संख 40 अरब वर्ष है। इसको पाने के लिए विशेष महान् शुभ कर्म निरन्तर आवश्यक है।

प्र014 : क्या मुक्ति के बाद पुनरावृत्ति होती है ?

उ0 निश्चित ! जीवात्मा अल्पज्ञ है अतः उसके द्वारा किए गए कर्म भी ससीम होते हैं असीम हो नहीं सकतें इसलिए कर्मानुसार जीव की मुक्ति भी असीम नहीं हो सकती और उसे समयानुसार पुनः शरीर धारण करना पड़ता है।

प्र015 : ईश्वर भक्ति का सर्वोत्तम तरीका क्या है ?

उ0 प्रातः काल की वेला में एकान्त में बैठकर अपनी सभी कर्मेन्द्रियों को संयम में रखकर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें जिसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड बनाया है, चला रहा है, कण-कण में विराजमान है, मुझ में है तुझ में है। ध्यानपूर्वक यह मान ले की मैं उसकी गोद में बैठा हूँ। सर्वस्व उसका है मेरा नहीं। बस फिर उसका आनन्द अवश्य मिलेगा। इस प्रकार की समर्पित भावना जीवन के सभी कर्म करते हुए समान रूप से बनी रहे।

प्र016 : ईश्वर भक्त के लक्षण क्या होते हैं ?

उ0 ईश्वर भक्त सदैव विवेकशील, परोपकारी, ज्ञानी, सद्व्यवहार युक्त, दानशील एवं सदैव ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। प्रत्येक जीव के दुख-सुख में सहायक होगा।

प्र017 : सन्ध्या, यज्ञ और कर्मकाण्ड का क्या महत्व है ?

उ0 : सन्ध्या, यज्ञ और कर्मकाण्ड द्वारा मनुष्य का जीवन सुंस्कृत होता हैं। पवित्र और महान जीवन के यही आधार हैं। इन्हीं के द्वारा मन पवित्र

होता हैं बुद्धि तीव्र व प्रखर होती हैं बुद्धि का विकास होता है धैर्य की वृद्धि एवं परोपकार व दान की भावना पैदा होती है जिससे बड़े से बड़ा कष्ट आने पर मनुष्य घबराता नहीं है अर्थात् उसका जीवन समरसता का अनुभव करता है और दुख व सुख से परे हो जाता है।

प्र018 : योग का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है ?

उ0 योग शब्द के तीन अर्थ हैं संयम, समाधि तथा आत्मा का परमात्मा से मिलन का अनुभव। शरीर को स्वस्थ बनाना, इन्द्रियों को स्वस्थ और सात्विक बनाना। मन बुद्धि को सात्विक तथा पवित्र बनाना ! जीवात्मा की प्रवृति प्रकृति से हटाकर परमात्मा की तरफ मोड़ने का नाम योग है।

प्र019 : धर्म और पन्थ में क्या अन्तर है ?

उ0 : **धर्म** : वेदोऽअखिलो धर्ममूलम् अर्थात् सम्पूर्ण वेद धर्म का मूल है। वेद मानवता का उपदेश देता है। अतः मानवता ही मनुष्य का धर्म हैं। प्रत्येक मानव मानव का हितकर होना चाहिए। धर्म के सिद्धान्त सम्पूर्ण प्राणी जगत् के लिए हितकर होते हैं। धर्म के दस लक्षण इस प्रकार है - धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध।

पंथ : व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष द्वारा सम्पादित अनुशासन पंथ या मत कहलाता है। क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ हैं अतः पन्थ या मत द्वारा समस्त जीवात्माओं का कल्याण सम्भव नहीं है। इसीलिए पंथ सदस्यता को महत्व देते है और उन्हीं का हित चाहते है।

प्र020 : यज्ञोपवीत धारण क्यों करें ?

उ0 : तीन धागों से बना यज्ञोपवीत मार्गदर्शक स्वरूप हमारा प्रेरक हैं जो प्रेरणा देता हैं कि माता, पिता व आचार्य जिन्होंने हमें उत्पन्न किया एवं योग्य बनाया उनके प्रति हम सदैव ऋणी हैं।

दूसरा यज्ञोपवीत के तीन धागे ईश्वर, जीवात्मा एवं प्रकृति के प्रतीक हैं और तीनों अनादि हैं तीनों अपने-अपने विशेष गुणों के कारण

भिन्न है परन्तु फिर भी एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकतें। इसी प्रकार हमें भी सुख व दुख में एक रस होकर रहना चाहिए।

तीसरा यज्ञोपवीत के तीन धागें ज्ञान, कर्म, उपासना के प्रतीक भी हैं। जो प्रेरणा देते हैं कि जीव को ज्ञान पूर्वक कर्म एवं उपासना करनी योग्य है।

अतः यज्ञोपवीत वैदिक धर्मानुयायी होने का प्रतीक चिन्ह माना जाता है।

प्र021 : वर्ण व्यवस्था समाज के हित में है या अहित में ?

उ0 : वर्ण व्यवस्था वेदानुकूल है। परम पिता ही इस व्यवस्था का प्रदाता है अतः अहित में हो ही नहीं सकती। वर्ण व्यवस्था कर्म के सिद्धान्त पर आधारित है, यदि जीव वर्ण नहीं करेगा तो जीवनयापन नहीं कर पाएगा। वर्तमान वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने के कारण असामाजिक व्यवस्था बन चुकी है।

प्र022 : क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक आश्रम आवश्यक है?

उ0 : जी हां! क्योंकि जीवन ब्राह्मणत्व से प्रारम्भ होकर ब्रह्म पर ही समाप्त होता है। ब्रह्मचर्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु, गृहस्थ कर्म हेतु, वानप्रस्थ ईश उपासना एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए तथा मोक्ष हेतु सन्यास आवश्यक है। क्योंकि ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास लेने से विकृतियां उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। यद्यपि गृहस्थ का ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है परन्तु त्याग अनिवार्य है।

प्र023 : क्या मरने के बाद मृतक के लिए कोई भी कार्य किया जा सकता है ?

उ0 : नहीं! मृतक के शरीर के लिए कोई कार्य नहीं किया जा सकता। केवल मृत भौतिक शरीर को शुद्ध घी व सुगन्धित सामग्री के साथ यज्ञ के द्वारा पंच तत्व में विलीन अवश्य करना चाहिए हैं जिससे दुर्गन्ध न हो। मृत्युपरान्त शोक सन्तप्त परिवार की शान्ति हेतु शान्ति यज्ञ का आयोजन होता हैं। इस अवसर पर परिवारों में यज्ञ पूर्ण शुद्धि हेतु होता है।

प्र024 : मातृ शक्ति का स्थान पुरुषों से ऊंचा माना जाए या एक समान या नीचा ?

उ0 : मातृ शक्ति का स्थान सदैव ऊंचा ही है।

प्र025 : तीर्थ स्थलों पर जाने का उद्देश्य क्या है ?

उ0 : केवल नदी के तट को तीर्थ नहीं कहा जा सकता अपितु विद्वान आचार्य, ऋषि, गुरु आदि के आश्रम व शिविर वास्तविक तीर्थ हैं जो ज्ञान के साथ-साथ हमारी शंकाओं का समाधान कर हमें तृप्त करते हैं। क्योंकि बहुदा ऐसे आश्रम नदियों के समीप होते थे और जनता उन ऋषियों के पास जाती थी इसलिए वह नदी के तट तीर्थ कहलाते थे। परन्तु वर्तमान में वैसे ऋषि आश्रम समाप्त हो गए है किन्तु मनुष्य नदियों के किनारे जाकर स्नान इत्यादि कर इसे तीर्थ ही समझने लगे।

प्र026 : व्यक्ति का खान-पान किस प्रकार का होना चाहिए ?

उ0 : व्यक्ति का घर स्वच्छ तथा भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए जिससे सात्विक प्राण शक्ति और विवेकपूर्ण बुद्धि प्राप्त हो जिससे वह जीवन में होने वाली समस्याओं का ज्ञान पूर्वक समाधान कर सकें।

प्र027 : व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए ?

उ0 : व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा करे वैसा ही व्यवहार वह दूसरों के साथ स्वयं भी करे इससे धरती पर स्वर्ग स्थापित हो सकता है। आर्यो के व्यवहार में बड़ो के प्रति श्रद्धा तथा छोटो के प्रति प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए।

प्र028 : व्रत-उपवास पर आर्यसमाज का क्या दृष्टिकोण हैं ?

उ0 : व्रत नाम हैं संकल्प का और संकल्प विचार का विषय है खाने का नहीं। अतः व्रत का भोजन से कोई सम्बन्ध नहीं है। 'उप समीपे यो वासा परमात्मा समीपने' अर्थात् संकल्प शक्ति के द्वारा परमात्मा की समीपता ही व्रत है। आर्यो का व्रत अर्थात् संकल्प सदैव देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा का ही रहा है।

प्र029 : ज्योतिष के द्वारा भविष्य की योजना बनाने में सहायता प्राप्त हो सकती है या नहीं ?

उ0 : नहीं। ज्योतिष भविष्य की योजना बनाने में सहायक नहीं हो सकती। ज्योतिष दो प्रकार की हैं सिद्धान्त ज्योतिष तथा फलित ज्यौतिष।

(क) **सिद्धान्त ज्योतिष** वेदांग पर आधारित हैं जिसे **गणित ज्योतिष** भी कहते हैं। क्योंकि इस शास्त्र से रेखागणित, क्षेत्रमिति, अंक व बीजगणित आदि विविध विभागयुक्त गणित का ज्ञान हो जाता है। अतः गणित ज्ञान हेतु उसका अध्ययन उपयुक्त है।

(ख) **फलित ज्योतिष** : गणित करने से जो अन्त में निकलता है उसे फल कहते हैं उसी आधार पर इसे फलित ज्योतिष कहते हैं। इसके आधार पर ग्रह, नक्षत्रों के गणित से उनकी गति, स्थिति आदि का पता तो लगा सकते हैं न कि मनुष्यों के भाग्य का। अतः जातक, मुहूर्त, राशि ग्रह, नक्षत्रादि का जो फल विधान है वह सब मिथ्या है क्योंकि मनुष्यों के कर्मों का गणित करके कर्मफल नहीं निकल सकता। वर्तमान में फलित ज्योतिष के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने की कला विकसित हो चुकी है। इससे बचना चाहिए।

प्र030 : भूत प्रेत आदि की अवधारणा क्या है। यह किस प्रकार उत्पन्न हुई ?

उ0 : मृतक शरीर ही भूत या पंचभूत कहलाता है यह पांच तत्वों - अग्नि, जल, वायु, आकाश एवं पृथ्वी का बना प्रकृति रूप हैं जो अग्नि को समर्पित किया जाता है और प्रेत वह तत्व है जो मृतक शरीर से अलग होकर प्रस्थान कर जाता हैं अर्थात् सूक्ष्म शरीर ही प्रेत है। भूत प्रेत के नाम पर किसी भी हालत में डराने धमकाने का कार्य वैज्ञानिक नहीं है।

प्र031 : स्वर्ग-नरक की अवधारणा किस प्रकार है ?

उ0 : सुख विशेष का नाम स्वर्ग व दुख विशेष का नाम नरक है। यहां सुख विशेष का तात्पर्य इन्द्रिय सुख से नहीं अपितु परमात्मा के सानिध्य से प्राप्त अनुभूति से है। इसी प्रकार इन्द्रिय दुख को दुख विशेष नहीं माना जा

सकता। परमात्मा से दूरी ही दुख की जननी है। स्वयं के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वपेक्षा से सुख हैं परोपेक्षा से नहीं। अर्थात् जिस कामना की पूर्ति हम केवल स्वयं कर सके उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ की आवश्यकता न पड़े, केवल वही सुख है।

प्र032 : आर्यसमाज की दृष्टि में राष्ट्रभाषा हिन्दी, राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय अभिवादन नमस्ते क्यों हैं ?

उ0 : अ. महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रारम्भ में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया है किन्तु भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग होने के कारण उन्होंने पाया कि ऐसी परिस्थिति में देश की एकता हेतु एक सम्पर्क भाषा का होना भी आवश्यक है इसलिए उन्होंने हिन्दी भाषा का प्रयोग ही उचित समझा। इसे उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया। इसलिए आर्यसमाज हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा के रूप में विकसित करना अपना धर्म मानता है।

ब. भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण गो पालक भी है क्योंकि गाय का दूध अपने आप में एक सम्पूर्ण भोजन तो है ही, उसका गोबर ईंधन व गो-मूत्र अनेकों प्रकार की औषधियों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए आर्यसमाज की दृष्टि में गाय माता का राष्ट्रीय पशु के रूप में संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए इसी से कृषि तथा अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित हो सकती है।

स. नमस्ते में सम्बोधन भी जुड़ा हुआ हैं अर्थात नमः+अस्ते = आपको नमन हैं अतः इससे अच्छा और अभिवादन क्या हो सकता है। राष्ट्रीय अभिवादन क्या अब तो नमस्ते अन्तर्राष्ट्रीय अभिवादन बन चुका है।

प्र033 : क्या यज्ञ केवल अग्नि में आहुति की प्रक्रिया ही है ? क्या यज्ञ के लक्षण देव पूजा, संगतिकरण और दान प्रत्येक परोपकार और सेवा कार्य को यज्ञ की परिभाषा में मान्य करते हैं ?

उ0 : अग्नि में लाभकारी जड़ी-बूटियों तथा घी आदि उत्तम पदार्थों की

आहुतियां देना तो यज्ञ का एक प्रकट रूप है, वास्तव में प्रत्येक शुभ कार्य अपने आप में यज्ञ है। सद्व्यवहार, परोपकार व सभी सेवा कार्य भी यज्ञ ही है किन्तु इनका लाभ सीमित है, अग्निहोत्र श्रेष्ठतमम् यज्ञ है क्योंकि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड व समस्त जीवों के लिए लाभकारी है।

प्र034 : शुद्धि आन्दोलन से क्या अभिप्राय है ?

उ0 : वैदिक विचारधारा या वैदिक परम्पराओं से दूर हो गये व्यक्तियों को पुनः वैदिक परम्पराओं से जोड़ना शुद्धि आन्दोलन है।

प्र035 : धर्मान्तरण और शुद्धि में क्या अन्तर हैं ?

उ0 वैदिक परम्पराओं को छोड़ कर दूसरा मत (पंथ) स्वीकार करना धर्मान्तरण है। ऐसे अशुद्ध व्यक्तियों को पुनः वैदिक धर्म में लाना शुद्धि है।

प्र036 : आर्यसमाज ने शिक्षा पद्धति का कार्य किस लक्ष्य से हाथ में लिया ?

उ0 : ऋषि दयानन्द जी के अनुसार वेद का पढ़ना-पढ़ाना व सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद के सुनने-सुनाने का कार्य तो आर्यसमाज में हो जाता हैं लेकिन वेद अध्ययन अर्थात् पढ़ने पढ़ाने हेतु शिक्षा पद्धति का होना आवश्यक था। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ वैदिक शिक्षाओं का ज्ञान भी बालक-बालिकाओं को देना आर्यसमाज का लक्ष्य है।

प्र037 : एक सच्चे आर्य के जीवन में तप और स्वाध्याय का होना आवश्यक क्यों है ?

उ0 : द्वन्दो सहनम् तपः अर्थात् दुख-सुख को समान रूप से सहना अर्थात् दुख व सुख में समरसता का अनुभव ही तप है। तप के लिए ज्ञान की आवश्यकता है जो स्वाध्याय के बिना सम्भव नहीं है। स्वाध्याय ही तप को सींचता है अर्थात् ज्ञान पर आधारित कर्म ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। ज्ञान की प्राप्ति करना स्वाध्याय है और लगन से कार्य करना ही तप है।

प्र038 : एक तरफ आर्यसमाज और दूसरी तरफ राजनीतिक दलो या अन्य सामाजिक संस्थाओं में क्या अन्तर है ? यह अन्तर लाभदायक है या हानिकारक?

उ0 : आर्यसमाज मानव मूल्यों की रक्षा का पक्षधर है जहां राजधर्म में सबको न्याय, दया, सहयोग व अभय का वातावरण होना चाहिए जबकि राजनीतिक दलों ने अपने-अपने लाभ हेतु सम्पूर्ण मानव मूल्यों की हत्या सी कर दी है जो मानव कल्याण के लिए हानिकारक है। अन्य सामाजिक संस्थाएं भी यदि आर्यसमाज की तरह एक मजबूत राष्ट्रवादी, चारित्रिक, नैतिक और परोपकारी दृष्टिकोण अपनाए तो वे भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

प्र039 : क्या आर्यसमाज गुरु शिष्य परम्परा को नहीं मानता है और कौन से ग्रन्थ बहिष्कार योग्य है ?

उ0. आर्यसमाज सृष्टि उत्पत्ति से चल रही ऋषि परम्परा को मानता है जो ईश्वरीय व्यवस्था है। आधुनिक तथाकथित गुरुडम गलत हैं। अतः जिन ग्रन्थों में गुरुडम का वर्णन है उनका बहिष्कार करने योग्य है। क्योंकि गुरु को सृष्टि बनाने और पालन करने वाले ईश्वर के समकक्ष नहीं माना जा सकता। गुरु शिक्षक रूप में माता और पिता के समान पूजनीय अवश्य है।

जो ग्रन्थ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव तथा वेदानुकूल हो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल सत्य हो तथा जो आप्त पुरुषों द्वारा ग्रहण करने योग्य हो, जो परमात्मवाक्य, आर्षवाक्य, ऋषि वाक्य व ऋषि पुत्र वाक्य हों तथा आर्ष भाष्य हों, केवल वही ग्रन्थ पढ़ने व पढ़ाने योग्य हैं।

प्र040 : विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्यों में शुभ मुहूर्त किस प्रकार तय किया जाए ?

उ0 ईश्वर मानवमात्र का सदैव हितकारी है उसकी व्यवस्थानुसार सभी समय, काल, मुहूर्त हितकर हैं अतः परिजनों की आत्मा जिस समय, काल मुहूर्त में प्रसन्न हो वही मुहूर्त हितकर है।

12

पुरोहित प्रचारक संन्यासी तथा स्वाध्याय प्रेमी आर्यजनों का योगदान

विद्वता से परिपूर्ण प्रत्येक आत्मा समाज की अलौकिक सम्पत्ति मानी जा सकती है। इस सम्पत्ति के बल पर हमें व्यक्तिगत और संगठनात्मक दृष्टि से हर सम्भव सहायता प्राप्त हो सकती है। यह सहायता बेशक भौतिकवादी तो नहीं होगी परन्तु इनकी सहायता हमारी पवित्र संस्था का मूलधार अवश्य है।

आर्यसमाज एक सैद्धान्तिक संगठन है और सिद्धान्त रक्षा तथा सिद्धान्त का प्रचार केवल उन्हीं व्यक्तियों के बल पर हो सकता है जो उन सिद्धान्तों में पूरी तरह से पारंगत है। प्रत्येक पदाधिकारी को यह महसूस करना चाहिए कि इन सिद्धान्त रक्षकों के बिना आर्यसमाज बिना आत्मा का शरीर बनकर रह जाएगा। अतः समस्त पदाधिकारी न केवल इस आत्मा को पहचाने अपितु इस आत्मा को इसका निर्धारित सम्मान प्रदान करें और इस आत्मा के मार्गदर्शन से शरीर को अधिक से अधिक सम्पन्न बनाने का प्रयास करें।

दूसरी तरफ इन विद्वत महानुभावों को जब हम आर्यसमाज रूपी शरीर की आत्मा कह रहे है कि तो इन आत्माओं का भी यह परम कर्त्तव्य बन जाता है कि वे भी स्वयं को एक साधारण व्यक्ति न समझते हुए आर्यसमाज जैसे विशाल और पवित्र संगठन के पोषक बनकर कार्य करे, अपने जीवन को इन कार्यों में आहूत करें।

कुल मिलाकर सबका यह प्रयास होना चाहिए कि आर्यसमाज के नाम से स्वार्थ साधन का कार्य करने की बजाए त्याग और तपस्या के साथ इन

कार्यों को आगे बढ़ाया जाए।

- ☞ पदाधिकारी अधिक से अधिक प्रचार कार्यक्रम निर्धारित करके वैदिक विद्वानों की विद्वता का लाभ उठाए।
- ☞ स्वाध्याय प्रेमी आर्यजन तथा अन्य विद्वान मिल बैठकर गोष्ठी रूप में परस्पर वाद-विवाद कार्यक्रम आयोजित करें। ऐसे कार्यक्रमों को देखने के लिए अन्य लोगों को दर्शक रूप में आमन्त्रित करें।
- ☞ बच्चों किशोरों और युवाओं के लिए विशेष रूप से शंका-समाधान आयोजित करें।
- ☞ अन्य शहरों में जब कोई विद्वान या संन्यासी पधारें उनका पूरा स्वागत और आवास भोजन आदि की यथा सम्भव सुविधा प्रदान करने में संकोच न करें। यहां तक कि यदि कोई विद्वान या संन्यासी आपके बिना कार्यक्रम निर्धारित किए किसी कार्यवश में आपके शहर में आ गए हो तो उन्हें भी यथोचित सम्मान दें तथा अल्प नोटिस पर ही कुछ जिज्ञासु धार्मिक जनों को एकत्रित करके उनकी विद्वता का लाभ उठाएं।
- ☞ आर्यसमाज मन्दिरों में विधिवत रूप से नियुक्त पुरोहितों तथा सभाओं के अन्तर्गत आने वाले प्रचारकों को परिवार के पालन-पोषण के लिए समुचित धन राशि का सहयोग भी मिलना चाहिए। यह पदाधिकारियो का प्रशासनिक दायित्व है। स्वभाविक है कि समस्त पदाधिकारी दान आदि के संग्रहण से ही इस दायित्व को निभा पाएगे। अतः पुरोहितों और प्रचारको से भी अपेक्षित है कि वे संस्कारों और प्रचार कार्यक्रमों में सामान्य जनता को समाज और सभा के लिए दान देने हेतु प्रेरित करें।
- ☞ विद्वत वर्ग को चाहिए कि आर्य परिवारों तथा अन्य धार्मिक परिवारों में प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत सम्पर्क और प्रभाव में रखे। इससे घर-घर में वैदिक नियम और सिद्धान्तों की स्थापना सुगम हो जाएगी।
- ☞ प्रत्येक प्रान्तीय सभा अपने प्रान्त के विद्वानों, प्रचरकों के सहायतार्थ

एक विशेष कोष की स्थापना करें। स्वाध्याय प्रेमी आर्यजनों की एक सूची तैयार की जाए जो आर्यसमाजों में विद्वता पूर्ण प्रवचन प्रदान कर सकते है। यदि वे स्वयं दक्षिणा न लेना चाहे तो एक निर्धारित राशि उस विशेष कोष में जमा करवाने के लिए आयोजकों को प्रेरित करें। इसके अतिरिक्त दान से भी इस विशेष कोष को भरने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस कोष से ऐसे विद्वानों, संन्यासियों की वृद्धावस्था में सहायता की जानी चाहिए।

☞ **सार्वदेशिक विद्वत मण्डल :** सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा सार्वदेशिक विद्वत मण्डल का गठन किया गया है। समस्त प्रान्तों में कार्यरत् सन्यासियों विद्वानों, प्रचारको, उपदेशको, भजनोपदेशको तथा पुरोहितो के नाम इस मण्डल में शामिल किए जाने है। आप के क्षेत्र में जो भी विद्वान् महानुभाव वैदिक प्रवचन करने में सक्षम है उनका निम्न विवरण एक सादे कागज पर लिखकर तत्काल सार्वदेशिक सभा कार्यालय 3/5, दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली-2 (अथवा फैक्स : 011-23270507) पर अवश्य भिजवा दें।

1. नाम 2. पिता/पति का नाम 3. पूरा डाक पता 4. फोन नम्बर (STD कोड सहित) 5. भाषाओं का ज्ञान 6. शैक्षणिक योग्यता, 7. प्रवचन कार्यक्रम स्वीकार करने की सीमाए (जैसे केवल शनिवार, रविवार या कभी भी, केवल अपने क्षेत्र में या भारत के किसी भी प्रान्त में)

सार्वदेशिक विद्वत मण्डल की गोष्ठियां नियमित रूप से आयोजित की जाएगी जिससे विद्वानों के विचारों में एकरूपता बनी रहे, उनकी समस्याओं आदि पर विचार-विमर्श तथा उनका निराकरण सम्भव हो।

वैदिक प्रवचनों के लिए विद्वानों को भेजने का निवेदन विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने पर सार्वदेशिक विद्वत मण्डल के सदस्यों के नाम चयन करके भेजे जाएगें। इस प्रकार प्रचार कार्यों में एक रूपता भी स्थापित हो सकेगी।

सार्वदेशिक विद्वत मण्डल के माध्यम से ही विद्वानों के लिए आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का कार्य भी सम्भव हो पाएगा।

13

संगठनात्मक अनुशासन

जैसा कि अन्य विषयों में भी चर्चा आई कि आर्यसमाज एक श्रृंखलाबद्ध संगठन है। जो तीन स्तरों में विभक्त है। सर्वप्रथम क्षेत्रीय स्तरों पर कार्य करने के लिए आर्यसमाज मन्दिर, प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय सभाए, तथा सर्वोच्च स्तर पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा। संगठनात्मक ढांचे को जो लोग निश्चित रूप में जानते है और समझते है उन्हें इस विशालता की शक्ति का अहसास अवश्य ही होगा।

इस विशाल संगठन से जुड़े एक आर्यसमाज को आप कोई छोटी सी क्षेत्रीय इकाई न समझे। प्रत्येक आर्यसमाज ही नहीं अपितु इस विशाल शक्ति से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति इस शक्ति में बराबर का भागीदार है।

☞ हमें प्रयास यह करना चाहिए कि इस शक्ति की वृद्धि हो। किसी दृष्टि से भी सार्वजनिक मंचों पर अथवा हमारे सार्वजनिक व्यवहार से ऐसी परिस्थिति पैदा न हो कि इस पर कोई उंगली उठें।

☞ संगठनात्मक अनुशासन का पालन प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए। सभाओं से मिलने वाले आदेशों का कर्त्तव्यबद्ध होकर पालन किया जाए और सभाए अपने अधीनस्थ आर्यसमाजों को संगठित होकर सम्पन्न साधनों का प्रयोग करते हुए प्रचार कार्यों के लिए प्रेरित करें।

☞ किसी भी परिस्थिति में आन्तरिक विवादों को लेकर कोर्ट की शरण में नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक विवाद को न्याय सभा अथवा प्रबुद्ध

विद्वानों के सामने रखना चाहिए तथा उनके निर्णय को प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार करना चाहिए।

☞ अक्सर लोग मंचों पर ही यह कहते फिरते है कि आर्यसमाज कुछ नहीं कर रहा है। उन्हें शान्त मन से सोचना चाहिए क्या मंच पर ऐसा कहने से प्रचार कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। उसका समाधान इस प्रकार है - प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से यह सवाल करें कि वह आर्यसमाज के लिए कितना कार्य कर रहा है। यदि वह स्वयं शून्य है तो उसे ऐसे सवाल करने या दूसरों को सुझाव देने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को पहले स्वयं एक संकल्प अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। उसे क्रियान्वित करें और प्रचार कार्य में पारंगत होने के बाद बड़ी शालीनता के साथ अन्य आर्य बन्धुओं को अपने कार्यों की प्रेरणा प्रदान करें। प्रचार कार्यों में आने वाली कठिनाइयों तथा उनके समाधान पर चर्चा शान्तिपूर्वक बन्द कमरों में अथवा कार्यकर्ता बैठकों में ही होनी चाहिए। मंच को ऐसी बातों के लिए कदापि प्रयोग न करें। क्योंकि आर्यसमाज कुछ नहीं कर रहा का राग अलापने से सामान्य जनता आर्यसमाज से दूर हो जाती है।

☞ सार्वदेशिक सभा द्वारा विगत एक दो वर्षो से कार्यकर्ता सम्मेलनों की जो श्रृंखला शुरू की गई यह एक सफल प्रयास है। इसकी गम्भीरता को समझकर उसे प्रान्त और जिले तक ही सीमित न रखकर अपितु एक-एक आर्य समाज स्तर पर पदाधिकारी और सदस्य बैठकर चिन्तन की प्रक्रिया शुरू करें।

☞ **'सार्वदेशिक साप्ताहिक'** तथा अन्य स्रोत्रों से आर्यसमाज के देश-देशान्तर में होने वाले कार्यों की अधिकाधिक जानकारी रखें और इन कार्यों का अधिक से अधिक गुनगान करें। आर्यसमाजों में भी तथा सामान्य जगत में भी इन कार्यों की सूचना प्रदान करके इस विशाल संगठन के गौरव का परिचय दें। आर्यसमाज की

सूचनाए प्राप्त करने के लिए 'सार्वदेशिक साप्ताहिक' की सदस्यता (वर्तमान में 100/- रुपये वार्षिक तथा 800/- रुपये आजीवन) प्रत्येक आर्यबन्धु को अवश्य ग्रहण करनी चाहिए।

☞ **पदाधिकारियों से अपेक्षाए :** एक स्वर्णिम सूत्र प्रत्येक पदाधिकारी को याद रखना चाहिए - यदि शासन उचित होगा तथा अनुशासन भी उचित ही होगा। पदाधिकारियों के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता, संगठनात्मक सुदृढ़ता तथा आर्थिक शुचिता अवश्य दिखाई देनी चाहिए। आर्यसमाज के कार्यों को करते समय आलस्य या घर-परिवार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान करने को तत्पर व्यक्ति ही अधिकारी बनने योग्य है।

पदाधिकारी बनकर शासन एवं व्यवहार के प्रमुख तीन नियमों को अवश्य याद रखें - प्रीतिपूर्वक व्यवहार, धर्मानुसार व्यवहार तथा आवश्यकता पड़ने पर यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए।

☞ मूल मन्त्र यह है कि निराशावादी बातों को छोड़कर आशावादी बातों को ढूंढे। उन्हें सदा अपने ज्ञान का अंग बनाए रखें और गर्व से कहों कि हमारे आर्यसमाज ने अमरीका में यह किया, हमारे आर्यसमाज में तमिलनाडु में किया, आसाम में किया आदि–आदि। अपने गांव और गली मोहल्ले से उठकर देखो आर्यसमाज का झण्डा सारे विश्व में लहराता नजर आएगा। वह देखने की शक्ति केवल मिश्नरी आर्यों में ही हो सकती है और केवल वही लोग अपनी शक्ति से इस आर्यसमाज की शक्ति या दर्शन, गांव-गांव और गली-गली के सामान्य व्यक्तियों को भी करा सकते हैं।

☞ आर्यसमाजों के पदाधिकारी परस्पर एक दूसरे की निन्दा चुंगली और एक दूसरे के विरुद्ध बाते करने का त्याग कर दें। पढ़े लिखे और सभ्य लोगों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती।

☞ धर्म का कार्य यदि मैं कर रहा हूं और कोई दूसरा बीच में आकर मुझसे उस कार्य को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है तो मुझे इसका स्वागत करना चाहिए। धर्म के कार्यों में लड़ाई कैसी। अधिकारवाद के लिए मैं और मेरा करने के स्थान पर हर व्यक्ति कर्त्तव्य पालन के लिए मैं और मेरा करें।

☞ आप पदाधिकारी हो या नहीं हो, आपका लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए कि अन्तरंग के निर्णयों को लागू करने के लिए आपको पदाधिकारियों का हर सम्भव सहयोग करना ही है। जिस दिन आप स्वयं सिद्धान्तनिष्ठ और कर्त्तव्यनिष्ट आर्यसेवक बनकर खड़े जो जाएगे उस दिन संगठनात्मक अनुशासन की स्थापना अपने आप ही हो जाएगी।

संलग्नक - 'क'

ओ३म्

सम्बन्ध फार्म*

१. आवेदक आर्य संस्था का नाम :

२. स्थापना की तिथि/वर्ष :

३. संस्थापक का नाम :

४. संस्थापक की वर्तमान अवस्था/पता :

५. पंजीकरण विवरण :
कृपया पंजीकृत संविधान/नियम-उपनियमों आदि की प्रतिलिपि संलग्नक 'क' के रूप में लगाए। यदि स्थापना के समय पंजीकृत संविधान में संशोधन किए गए हैं तो मूल संविधान की प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

६. प्रमुख पदाधिकारियों के नाम :
(वर्तमान पूर्ण कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम, पते, टेलीफोन आदि की सूची संलग्नक 'ख' के रूप में लगाए।)

७. प्रमुख गतिविधिया :

८. कार्यक्षेत्र (प्रान्त, एकाधिक प्रान्त, अखिल भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय)

६. संस्था की वर्तमान सम्पत्तियां :
(यदि अधिक सम्पत्तियों का उल्लेख करना हो तो प्रथक सूची संलग्न करें। बीते वर्ष की आय व्यय आडिट रिपोर्ट संलग्नक 'ग' के रूप में लगाएं।)

१०. आय के साधन :

११. सम्बन्ध स्थापित करने हेतु अपनी साधारण सभा में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्नक 'घ' के रूप में लगाएं।

१२. संलग्नक 'च' के रूप में १०० रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक घोषणा पत्र मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।

(ह० आवेदनकर्त्ता)

* सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की साधारण सभा बैठक (२८ दिसम्बर, २००३) में पारित प्रस्ताव के अनुरूप।

घोषणा-पत्र

मैं .... सुपुत्र श्री ....
निवासी ....
....
वर्तमान में ....
(संस्था) का ....
(पद) होने के नाते यह घोषणा पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं :

१. संस्था की साधारण सभा बैठक दिनांक .... में लिए गए निर्णय संख्या ....के अनुसार मैं इस फार्म के लिए अधिकृत हूं कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ३/५, दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली – २ (भारत) के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आवेदन करूं तथा इस घोषणा पत्र को हस्ताक्षरित करूं।

२. .... (संस्था) अपना वार्षिक आय व्यय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के समक्ष प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के ३ माह के भीतर अवश्य भेजेंगे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा कभी भी हमारी संस्था का आडिट स्वयं करवाने के लिए भी अधिकृत होगी।

३. .... (संस्था) में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा नामित एक प्रतिनिधि शामिल किया जाएगा।

४. .... (संस्था) अपने घोषित उद्देश्यों तथा नियम उपनियमों और आर्यसमाज के मन्तव्यों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी। संविधान तथा नियमों उपनियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा समय-समय पर सिद्धान्त सम्बन्धी आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिए भी हमारी संस्था प्रतिबद्ध रहेगी। हमारी संस्था को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से पृथक होने

का अधिकार नहीं होगा। किन्हीं कारणों अथवा परिस्थितियों में यदि हमारी संस्था कार्य कर पाने में सक्षम न हो तो उसकी समस्त चल-अचल सम्पत्तियों की स्वामिनी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा होगी।

शपथकर्त्ता

सत्यापन :

आज दिनांक .... को सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा पत्र के तथ्य .... (संस्था) की साधारण सभा बैठक दिनांक .... में दिए गए अधिकारों के अनुरूप सत्य हैं।

शपथकर्ता

'प्रस्ताव'

आज दिनांक .... को ....
(संस्था) की साधारण बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि श्री .... को सार्वदशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, ३/५, दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली–२ के साथ सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आवेदन करने तथा घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत किया गया।

.... (संस्था)
अपना वार्षिक आय व्यय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के समक्ष प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के ३ माह के भीतर अवश्य भेजेंगे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा कभी भी हमारी संस्था का आडिट स्वयं करवाने के लिए भी अधिकृत होगी।

.... (संस्था)
की अन्तरंग सभा में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा नामित एक प्रतिनिधि शामिल किया जाएगा।

....
(संस्था) अपने घोषित उद्देश्यों तथा नियम उपनियमों और आर्यसमाज के मन्तव्यों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी। संविधान तथा नियमों उपनियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा समय–समय पर सिद्धान्त सम्बन्धी आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिए भी हमारी संस्था प्रतिबद्ध रहेगी। हमारी संस्था को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से पृथक होने का अधिकार नहीं होगा। किन्हीं कारणों अथवा परिस्थितियों में यदि हमारी संस्था कार्य कर पाने में सक्षम न हो तो उसकी समस्त चल–अचल सम्पत्तियों की स्वामिनी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा होगी।

प्रधान **मन्त्री** **कोषाध्यक्ष**

संलग्नक 'ख'

विशेष दिवसों की सूची

दिनांक	पर्व का नाम
13 जनवरी	लोहड़ी
14 जनवरी	मकर संक्रान्ति (पोंगल)
23 जनवरी	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती
26 जनवरी	गणतन्त्र दिवस, पूर्ण स्वराज्य की मांग (1929) स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया (1930)
27 जनवरी	लाला लाजपत राय जन्म दिवस
20 फरवरी	भारत छोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा पत्र (1947)
27 फरवरी	चन्द्रशेखर आजाद की मृत्यु (1932)
13 मार्च	ज० डायर उधमसिंह द्वारा मारे गए (1940)
17 मार्च	होली (नवसंष्येष्टि)
17 मार्च	मदनलाल ढींगरा को फांसी (1909)
23 मार्च	भगत सिंह, सुखदेव, एवं राजगुरु को फांसी (1931)
29 मार्च	मंगल पाण्डे का विद्रोह (1857)
13 अप्रैल	जलियांवाला कांड (1919)
8 मई	भाई बालमुकुन्द को फांसी (1915)
10 मई	मेरठ का विद्रोह (1857)
15 मई	विश्व परिवार दिवस
30 मई	स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में चांदनी चैक से जुलूस (1919)
5 जून	पर्यावरण दिवस
23 जुलाई	चन्द्रशेखर आजाद जन्मदिवस (1906)
31 जुलाई	उधम सिंह को फांसी (1940)

दिनांक	पर्व का नाम
6 अगस्त	हिरोशिमा-नागासाकी पर बम वर्षा (1945)
8-9 अगस्त	भारत छोड़ो आन्दोलन (1942)
11 अगस्त	खुदीराम बोस को फांसी (1908)
15 अगस्त	स्वतन्त्रता दिवस
31 अगस्त	खिलाफत आन्दोलन (1920)
5 सितम्बर	शिक्षक दिवस
8 सितम्बर	साक्षरता दिवस
28 सितम्बर	भगतसिंह का जन्मदिवस (1907)
2 अक्तूबर	म० गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती
7 अक्तूबर	मा० अमीचन्द, भाई बालमुकुन्द अवध बिहारी फांसी (1914)
19 अक्तूबर	मानवाधिकार दिवस
21 अक्तूबर	आजाद हिंद सरकार का गठन (1943)
22 अक्तूबर	अश्फाक उल्ला खां का जन्मदिवस (1900)
4 नवम्बर	वासुदेव बलवन्त फडके का जन्म (1845)
14 नवम्बर	बाल दिवस
17 नवम्बर	लाला लाजपतराय की मृत्यु (1928)
19 नवम्बर	मातृदिवस, लक्ष्मीबाई का जन्मदिवस (1835)
26 नवम्बर	समाचार दिवस
3 दिसम्बर	खुदीराम बोस का जन्मदिवस (1889)
5 दिसम्बर	विश्व स्वयं सेवक दिवस
12 दिसम्बर	भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला
16 दिसम्बर	रामप्रसाद बिस्मिल, अश्फाक उल्ला खां, राजेन्द्र लाहिड़ी तथा ठाकुर रोशनसिंह को फांसी (1927)
23 दिसम्बर	श्रद्धानन्द बलिदान दिवस (1926) रक्तदान दिवस
26 दिसम्बर	उधम सिंह का जन्मदिवस (1899)

नोट : यदि आप के ध्यान में राष्ट्रवादी या सैद्धान्तिक दृष्टि से कोई अन्य दिवस हो तो हमें सूचित करें जिससे आगामी संस्करणों में उसे जोड़ा जा सके।

संलग्नक 'ग'

साप्ताहिक सत्संग

१. आर्यसमाज के एक निर्धारित अधिकारी सत्संग कार्यक्रम का शुभारम्भ उपस्थित सदस्यों का स्वागत अल्प शब्दों में करें :

"आर्यसमाज मन्दिर के साप्ताहिक सत्संग के रूप में आज दिनांक .... सुदी वदी, माह .... सम्वत .... तदनुसार (अंग्रेजी तिथि ......) को आयोजित इस धर्म सभा में आप सब पवित्र आत्माओं का हार्दिक स्वागत है। आईए, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से इस कार्यक्रम के पवित्र विचारों तथा तरंगों से अपने जीवन को शुद्ध बनाने तथा एक पवित्र वैदिक समाज की स्थापना में सहयोग के लिए संकल्प लें।

२. सन्ध्या उपासना

३. ईश्वरस्तुति

४. स्वस्तिवाचन

५. शान्तिप्रकरण

६. ऋत्विक वरण

यज्ञ वेदी पर बैठे यजमान से पुरोहित/ब्रह्मा निम्न उच्चारण करवाएं अर्थात खुद पहले बोले और उपरान्त यजमान से बुलाएं –

ओ३म् आवसो सदने सीद्

इसके उपरान्त पुरोहित/ब्रह्मा निम्न उच्चारण करके अपनी स्वीकृति प्रदान करें :–

ओ३म् सीदामि

पुनः यजमान से निम्न उच्चारण करवाए

अहम् अद्य साप्ताहिक सत्संगस्य उपलक्ष्ये यज्ञकर्म करणाय

भवन्तम् वृणे

उसके बाद पुरोहित केवल स्वयं कहे :– **वृतो अस्मि**

७. आचमन

८. यज्ञ कर्म (सार्वदेशिक धर्माय सभा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही करें)

६. यज्ञ प्रार्थना

१०. कुछ क्षण मौन धारण करवाकर मन को एकाग्र करवाने का प्रयास करें। उसके उपरान्त लगभग ३ से ४ मिनट का प्रार्थना उद्बोधन ब्रह्मा/पुरोहित अथवा किसी भी स्वाध्यायशील महानुभाव द्वारा अथवा किसी सदस्य के जन्मदिन आदि पर शुभकामनाओं द्वारा आशीर्वाद।

११. 'सत्यार्थ प्रकाश' अथवा 'श्रीमद्दयानन्दप्रकाश' का न्यून १ पृष्ठ पढ़कर सुनाया जाए। यदि आवश्यक हो तो संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करें।

१२. कुछ विशिष्ट वेद मन्त्र (मन्त्रों) की व्याख्या – यदि व्याख्या करने योग्य विद्वान उपस्थित न हो तो वेद ग्रन्थों या अन्य आर्ष साहित्य की सहायता ली जा सकती है।

१३. भजन (व्यवस्थानुसार) : भजन केवल आर्यसमाजों/प्रतिनिधि सभाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से ही लिए जाए। भजन किसी अवैदिक सिद्धान्त या मान्यता पर आधारित नहीं होने चाहिए।

१४. प्रवचन (आर्यसमाज की व्यवस्थानुसार) : प्रवचन का विषय कम से कम एक सप्ताह पूर्व निर्धारित करके पूरे क्षेत्र में प्रचारित कर दें। अधिकाधिक सामान्य जनों को प्रवचन सुनने के लिए प्रेम और आग्रह पूर्वक आमन्त्रित करें।

१५. आर्यसमाज के दस नियमों का उच्चारण

१६. संगठन सूक्त के ४ मन्त्रों एवं राष्ट्रीय प्रार्थना का मूल पाठ/गद्यानुवाद अथवा पद्यानुवाद सहित।

१७. नए व्यक्तियों का परिचय।

१८. पुराने सदस्यों की यदि अनुपस्थिति हो तो उसका कारण पहले से जानकर समस्त सदस्यों को सूचित करना। अनुपस्थित सदस्यों से पदाधिकारी बाद में सम्पर्क करें। अपने साथियों/जानकारों तथा समस्त प्राणियों के दुख में भागीदारी व्यक्त करना सर्वोत्तम जनसेवा है। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेमपूर्वक एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछने से ही संगठनात्मक सुदृढ़ता भी बढ़ती है। दूसरों को सम्मान देने से हमारा सम्मान भी बढ़ता है। उपस्थित सदस्यों के जो परिजन सत्संग में आज उपस्थित न हो पाए हों उन्हें बार बार समस्त परिजनों को सत्संग में लाने के लिए प्रेरित करते रहें।

१९. अपनी आर्यसमाज या अन्य आर्यसमाजों, प्रान्तीय सभाओं, सार्वदेशिक सभा के विशेष आगामी कार्यक्रमों की संक्षिप्त सूचना प्रस्तुत करके जिज्ञासु सदस्यों को विस्तृत विचार विमर्श बाद में सुविधानुसार प्रदान करने का प्रयास करें अथवा जानकारी के लिए किसी अन्य साधन/स्रोत से उन्हें अवगत करवा दें।

२०. उपस्थित समस्त महानुभावों, कार्यक्रम के अन्य सहयोगी महानुभावों, विद्वान प्रवचनकर्ता आदि का धन्यवाद करके धर्म सभा समाप्त करें।

२१. शान्ति पाठ के बाद विभिन्न जयघोष यथा :–

१. जो बोले सो अभय - वैदिक धर्म की जय

२. गुरुवर विरजानन्द की - जय

३. आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती की - जय

४. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द की - जय

५. योगीराज श्रीकृष्ण की - जय

६. देश धर्म पर मिटने वाले समस्त शहीदों की - जय

७. गो माता की - जय

८. **आर्यसमाज अमर रहे**

९. **वेद की ज्योति जलती रहे**

१०. **ओ३म् का झण्डा ऊंचा रहे**

११. **वैदिक ध्वनि ओ३म्**

१२. **वैदिक अभिवादन - सबको नमस्ते**

विशिष्ट ध्यानाकर्षण :

१. आर्यसमाज से सम्बन्धित किसी विशेष प्रशासनिक विषय पर चर्चा करनी हो तो सभासद महानुभाव पृथक से कुछ समय के उपरान्त बैठक चर्चा प्रारम्भ करे तथा प्रेमपूर्वक एक दूसरे के प्रति श्रद्धा के साथ विचार विमर्श करे।

२. सत्संग के उपरान्त कुछ न कुछ प्रसाद वितरण अवश्य करें, बेशक मिश्री ही क्यों न हो।

३. सत्संग कार्यक्रम में धार्मिकता, आध्यात्मिकता का वातावरण बनाने का प्रयास करे। यज्ञशाला की पूर्ण स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।

४. सत्संग के समय वार्तालाप पर प्रतिबन्ध हो।

५. प्रवचनकर्ता वेदी पर केवल मात्र प्रवचकर्ता को ही गौरवपूर्ण श्रद्धा सहित विराजित करवाएं। अन्य अधिकारी गण प्रवचन के समय वहां न बैठे।

६. सत्संग के समय सभी सदस्यों को समय पर उपस्थित होने की प्रार्थना की जाए, अधिकारी अवश्य सत्संग से पूर्व उपस्थित रहे तथा वेशभूषा में केवल कुर्ता पाजामा या कुर्ता धोती ही होना चाहिए। यजमान पुरुष केवल धोती कुर्ता एवं महिलाएं केवल साड़ी पहनकर यज्ञ पर बैठें।

७. दैनिक सत्संग कार्यक्रम के लिए प्रातःकाल तथा सायंकाल आर्यसमाजें संध्या ईश्वरस्तुति तथा यज्ञ सम्पन्न करवाने के अतिरिक्त कार्यक्रम अपनी सुविधानुसार चयन कर लें।

८. जिन आर्यसमाजों में दैनिक सत्संग यज्ञ आदि की व्यवस्थ अभी तक न हो पाई हो उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल अपने मन्दिर भवन में एक समय निश्चित करके पहले संध्या और उसके उपरान्त कुछ समय मौन रहकर तथा आंखें बन्द करके ध्यान लगाने की सुविधा धर्मप्रेमी जनों को उपलब्ध कराए। इसे **ध्यानयोग कार्यक्रम** के नाम से क्षेत्र की जनता में प्रचारित किया जाए।

शनै शनै इस कार्यक्रम में यज्ञ को भी जोड़ने का प्रयास करे क्योंकि यज्ञ आध्यात्मिक जागरण का भी माध्यम है।

(सार्वदेशिक सभा की साधारण सभा बैठक
दिनांक १८–१२–२००३ में पारित)

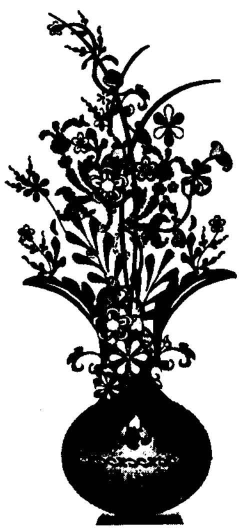

आर्यसमाज के नियम

१. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है।

२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है उसी की उपासना करने योग्य है।

३. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना- पढ़ाना और सुनना-सुनाना आर्यों का परम धर्म है।

४. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।

५. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए।

६. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।

७. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिए।

८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।

९. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।

१०. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।